कक्षा 12

पीयूष-प्रवाह

कक्षा
12

हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक

पीयूष-प्रवाह

पीयूष-प्रवाह

अनिवार्य हिंदी की द्वितीय पुस्तक

कक्षा - 12

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यपुस्तक निर्माण-समिति

पुस्तक : अनिवार्य हिंदी द्वितीय

कक्षा - 12

संयोजक :– डॉ. अन्नाराम शर्मा, व्याख्याता, हिन्दी
डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर

सम्पादकगण :–

1. डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंघवी, व्याख्याता, हिन्दी
महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़

2. भरत शर्मा, व्याख्याता, हिन्दी
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माणक चौक, जयपुर

पाठ्यक्रम समिति

पुस्तक – पीयूष प्रवाह
कक्षा–12 हिंदी अनिवार्य द्वितीय

संयोजक – डॉ. आशीष सिसोदिया, सहायक आचार्य
हिंदी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

लेखकगणः – 1. डॉ. दीपिका विजयवर्गीय, व्याख्याता
राजकीय स्नातकोत्तर महिला कॉलेज, चौमूं जिला–जयपुर

2. डॉ. नवीन नन्दवाना, सहायक आचार्य हिन्दी विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

3. श्री संजय कुमार शर्मा
डाइट , हनुमानगढ़

4. श्री रमाशंकर शर्मा, व्याख्याता
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर

5. श्री अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रलावता, अजमेर

6. श्री रमाशंकर शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक
राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, कुण्डगेट, सावर, अजमेर

आमुख

'पीयूष-प्रवाह' पुस्तक बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के निर्देशानुरूप अनिवार्य हिन्दी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक के रूप में निर्मित हुई है। इस पुस्तक में हिन्दी गद्य की कहानी, आत्मकथा, रेखाचित्र, उपन्यास, यात्रावृत्त एवं जीवन-चरित विधाओं की श्रेष्ठ रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। इन रचनाओं के चयन का आधार उनकी रोचकता, विषय-विविधता एवं बोधगम्यता तो है ही, विद्यार्थियों के चारित्रिक-संवेगात्मक पहलुओं एवं अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना भी रहा है। 'उसने कहा था' (चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी') हिन्दी की अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है, जिसे पढ़ने से निश्छल प्रेम, त्याग, वीरता एवं राष्ट्रभक्ति के भाव जाग्रत होते हैं। गांधी जी की आत्मकथा ''सत्य के प्रयोग'' के संपादित अंश से पाठकों को बाहरी दिखावे से बचने, सहयोगी एवं स्वावलम्बी बनने तथा संस्कारों के साथ सादगीपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है।

'गौरा' (महादेवी वर्मा) रेखाचित्र में लेखिका ने स्वयं द्वारा पालित गाय का अत्यंत करुणापूरित चित्र उकेरा है। यह रेखाचित्र मनुष्य की स्वार्थप्रवृत्ति पर चोट करता हुआ पशु-पक्षियों एवं निरीह प्राणियों के प्रति गहरी संवेदना जाग्रत करता है। ''मानस का हंस'' (अमृत लाल नागर) गोस्वामी तुलसीदास के जीवनवृत्त पर आधारित एक ऐतिहासिक-सांस्कृतिक उपन्यास है, जिसके संकलित अंश से भारतीय नारी के त्याग एवं समर्पण के साथ-साथ उसकी बौद्धिक तेजस्विता भी उजागर होती है। रत्नावली एवं तुलसीदास के वार्तालाप से लोक-कल्याण के निमित्त स्त्री-पुरुष के पारस्परिक सहयोग, विश्वास, कर्तव्यनिष्ठा, संयम एवं वैराग्यप्रवृत्ति का महत्त्व प्रकट होता है। ''कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण'' (सेठ गोविन्ददास) यात्रावृत्त में लेखक ने अनेक स्थानों के अपूर्व सौन्दर्य, उनकी सांस्कृतिक दिव्यता एवं ऐतिहासिक महत्त्व को बड़े ही रोचक ढंग से उभारा है। ''राजस्थान के गौरव'' एक संकलित पाठ है, जिसमें प्रदेश के उन महापुरुषों एवं संतों का संक्षिप्त जीवनचरित अंकित है, जिन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। उनके द्वारा दिए गए सन्देश हमारे लिए अनुकरणीय हैं।

संकलित रचनाएँ विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, विश्लेषण बुद्धि एवं भाषिक दक्षता के विकास में सहायक हो, इस हेतु प्रत्येक पाठ के अन्त में अभ्यासार्थ प्रश्न भी दिये गए हैं। हमें विश्वास है कि यह संग्रह विद्यार्थियों के आन्तरिक जगत् को अधिक संपन्न एवं उर्वर बनाएगा। संग्रह को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुधी समीक्षकों एवं शिक्षकों से सुझाव आमंत्रित हैं।

संपादक-मंडल

हिन्दी अनिवार्य
पाठ्यक्रम–कक्षा–12

समय–3:15 विषय कोड–

पूर्णांक–80

अधिगम क्षेत्र	अंक
अपठित बोध	08
व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना	16
पाठ्यपुस्तक –सृजन (प्रथम पुस्तक)	32
पाठ्यपुस्तक –पीयू प्रवाह (द्वितीय पुस्तक)	12
संवाद सेतु	12

खण्ड–1

अपठित बोध – 8 अंक

(क) अपठित गद्यांश – 4 अंक

(ख) अपठित पद्यांश – 4 अंक

खण्ड–2

व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना – 16 अंक

(क) भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय – 2 अंक

(ख) पद परिचय – 2 अंक

(ग) शब्द शक्ति – 2 अंक

(घ) अंलकार – (अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास) – 2 अंक

(ड.) पारिभाषिक शब्दावली – 2 अंक

(च) पत्र व प्रारूप लेखन (अर्द्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना) – 2 अंक

(छ) निबंध लेखन (विकल्प सहित) – 4 अंक

खण्ड–3

पाठ्य पुस्तक–सृजन (प्रथम पुस्तक) – 36 अंक

(क) 1 व्याख्या गद्य से (विकल्प सहित) – 1X4=4 अंक

(ख) 1 व्याख्या पद्य से (विकल्प सहित) – 1X4=4 अंक

(ग) 2 निबंधात्मक प्रश्न (1 प्रश्न गद्य से एवं 1 प्रश्न पद्य भाग से विकल्प सहित) – 2X4=8 अंक

(घ) 4 लघूत्तरात्मक प्रश्न (2 गद्य एवं 2 पद्य भाग से) – 4X3=12 अंक

(ङ.) किसी एक कवि या लेखक का परिचय – 1X4=4 अंक

(च) 2 अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (1 गद्य एवं 1 पद्य भाग से) – 2X2=4 अंक

खण्ड–4

पाठ्य पुस्तक – पीयूष प्रवाह (द्वितीय पुस्तक) – 12 अंक

(क) 1 निबंधात्मक प्रश्न (विकल्प सहित) – 1X6=06 अंक

(ख) 4 लघूत्तरात्मक प्रश्नों में से कोई तीन प्रश्न – 3X2=6 अंक

खण्ड–5

संवाद सेतु – 12 अंक

(क) समाचार लेखन (1 प्रश्न) – 1X2=2 अंक

(ख) विविध प्रकार के लेखन (फीचन, संपादकीय, सम्पादक के नाम पत्र, प्रतिक्रिया लेखन)
(1 प्रश्न) – 1X2=2 अंक

(ग) साक्षात्कार लेने की कला (1 प्रश्न) – 1X2=2अंक

(घ) विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता (1 प्रश्न) – 1X3=3 अंक

(ङ.) वार्ता, रिर्पोताज, यात्रा वृतांत, डायरी लेखन की कला (1 प्रश्न) – 1X3=3 अंक

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
1.	उसने कहा था (कहानी)	पं. चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी'	1–11
2.	सत्य के प्रयोग (आत्मकथा अंश)	मोहनदास करमचन्द गांधी	12–22
3.	गौरा (रेखाचित्र)	महादेवी वर्मा	23–28
4.	मानस का हंस (उपन्यास अंश)	अमृत लाल नागर	29–36
5.	कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण (यात्रावृत्त)	सेठ गोविन्ददास	37–43
6.	राजस्थान के गौरव (जीवन-चरित)	संकलित	44–50
7.	महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं शास्तियाँ		51–63

<u>कहानी</u>

उसने कहा था

-पं. चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी'

लेखक-परिचय

पं. चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' (1883 ई.-1922 ई.) हिन्दी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा-विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। 'उसने कहा था' हिन्दी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन 1915 ई. में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'सुखमय जीवन' और 'बुद्धू का काँटा' आदि कहानियाँ भी लिखीं। 'कछुआ धर्म', 'मारेसि मोहि कुठांव' आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। उन्होंने मासिक पत्र 'समालोचक' का संपादन किया एवं वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया।

पाठ-परिचय

'उसने कहा था' प्रथम विश्वयुद्ध (1914-1918ई) की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा को केन्द्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक-बालिका का बालसुलभ निश्छल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहनासिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल-पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु-शैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम-वेदना जनित नहीं, बल्कि कर्त्तव्य की प्रसन्नता है। आँचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव-व्यंजना से यह कहानी हिन्दी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है।

****

(एक)

बड़े-बड़े शहरों के इक्के-गाड़ीवालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बूकार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े-बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए,.... कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अँगुलियों के पोरे को चींथकर अपने-ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार-भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने, नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में, हर-एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी! हटो भाई जी! ठहरना भाई जी! आने दो लाला जी! हटो बा'छा! ... कहते हुए सफेद

फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि 'जी' और 'साहब' बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं; चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार-बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं - हट जा जीणे जोगिए; हट जा, करमाँवालिए; हट जा पुत्ताँ प्यारिए; बच जा लम्बी उमराँ वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लम्बी उमर तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है?बच जा।

ऐसे बम्बूकार्टवालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेसी से गुँथ रहा था, जो सेर–भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था।

'तेरे घर कहाँ है?'

'मगरे में; और तेरे?'

'माँझे में; यहाँ कहाँ रहती है?'

'अतरसिंह की बैठक में; वे मेरे मामा होते हैं।'

'मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में हैं।'

इतने में दुकानदार निबटा, और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ-साथ चले। कुछ दूर जा कर लड़के ने मुस्कराकर पूछा- 'तेरी कुड़माई हो गई?' इस पर लड़की कुछ आँख चढ़ा कर 'धत्' कह कर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया।

दूसरे-तीसरे दिन सब्जीवाले के यहाँ या दूधवाले के यहाँ, अकस्मात् दोनों मिल जाते। महीना-भर यही हाल रहा। दो-तीन बार लड़के ने फिर पूछा- तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही 'धत्' मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हँसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की, लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली- 'हाँ, हो गई।'

'कब?'

'कल; देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू।' लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन-भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभीवाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अन्धे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुँचा।

(दो)

'राम-राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन-रात खन्दकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गईं। लुधियाने से दस गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धँसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं - घंटे-दो-घंटे में कान के परदे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खन्दक हिल जाती है और सौ-सौ गज धरती उछल पड़ती है। इस ग़ैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में पच्चीस

जलजले होते हैं। जो कहीं खन्दक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई, तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं।'

'लहनासिंह, और तीन दिन हैं। चार तो खन्दक में बिता ही दिए। परसों 'रिलीफ' आ जाएगी और फिर सात दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट-भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग़ में - मखमल का-सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो।'

'चार दिन तक पलक नहीं झँपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ा कर मार्च का हुक्म मिल जाय। फिर सात जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूँ, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के, कलों के घोड़े - संगीन देखते ही मुँह फाड़ देते हैं, और पैर पकड़ने लगते हैं। यों अंधेरे में तीस-तीस मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था - चार मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो...'

'नहीं तो सीधे बर्लिन पहुँच जाते! क्यों?' सूबेदार हजारासिंह ने मुस्कराकर कहा, 'लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाये नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। तीन सौ मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा?'

'सूबेदारजी, सच है,' लहनासिंह बोला, 'पर करें क्या? हड्डियों-हड्डियों में तो जाड़ा धँस गया। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चम्बे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाय, तो गरमी आ जाय।'

'उदमी, उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम चार जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे।' यह कहते हुए सूबेदार सारी खन्दक में चक्कर लगाने लगे।

वज़ीरासिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गँदला पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, ''मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण!'' इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए।

लहनासिंह ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ में देकर कहा- 'अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब-भर में नहीं मिलेगा।'

'हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से दस घुमा जमीन यहाँ माँग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा।'

'लाडी होरां को भी यहाँ बुला लोगे? या वही दूध पिलानेवाली फरंगी मेम...'

'चुप कर। यहाँ वालों को शरम नहीं।'

'देश-देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाखू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हठ करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं।'

'अच्छा, अब बोधासिंह कैसा है?'

'अच्छा है।'

'जैसे मैं जानता ही न होऊँ ! रात-भर तुम अपने कम्बल उसे उढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न माँदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और 'निमोनिया' से मरनेवालों को मुरब्बे नहीं मिला करते।'

'मेरा डर मत करो। मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूँगा। भाई कीरतसिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आँगन के आम के पेड़ की छाया होगी।'....

(तीन)

दो पहर रात गई है। अन्धेरा है। सन्नाटा छाया हुआ है। बोधासिंह खाली बिस्कुटों के तीन टिनों पर अपने दोनों कम्बल बिछा कर और लहनासिंह के दो कम्बल और एक बरकोट ओढ़ कर सो रहा है। लहनासिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आँख खाई के मुँह पर है और एक बोधासिंह के दुबले शरीर पर। बोधासिंह कराहा।

'क्यों बोधा भाई, क्या है?'

'पानी पिला दो।'

लहनासिंह ने कटोरा उसके मुँह से लगा कर पूछा- 'कहो कैसे हो?' पानी पी कर बोधा बोला- 'कँपी (कँपकँपी) छूट रही है। रोम-रोम में तार दौड़ रहे हैं। दाँत बज रहे हैं।'

'अच्छा, मेरी जरसी पहन लो!'

'और तुम?'

'मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। पसीना आ रहा है।'

'ना, मैं नहीं पहनता। चार दिन से तुम मेरे लिए...'

'हाँ, याद आई। मेरे पास दूसरी गरम जरसी है। आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुन-बुनकर भेज रही हैं मेमें, गुरु उनका भला करें।' यों कह कर लहना अपना कोट उतार कर जरसी उतारने लगा।

'सच कहते हो?'

'और नहीं झूठ?' यों कह कर नाहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जरसी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुरता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जरसी की कथा केवल कथा थी।

आधा घण्टा बीता। इतने में खाई के मुँह से आवाज आई, 'सूबेदार हजारासिंह!'

'कौन, लपटन साहब? हुक्म हुजूर' कह कर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ।

''देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें पचास से जियादह जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे-नीचे दो खेत काट कर रास्ता है। तीन–चार घुमाव हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ पन्द्रह जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ दस आदमी छोड़ कर सब को साथ ले उनसे

जा मिलो। खन्दक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले, डटे रहो। हम यहाँ रहेगा।''

'जो हुकुम।'

चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहनासिंह ने उसे रोका। लहनासिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहनासिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे दस आदमी कौन रहें, इस पर बड़ी हुज़्ज़त हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा-बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुँह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। दस मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ा कर कहा- 'लो तुम भी पियो।'

आँख मारते-करते लहनासिंह सब समझ गया। मुँह का भाव छिपा कर बोला- 'लाओ साहब।' हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुँह देखा। बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए?

शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है?लहनासिंह ने जाँचना चाहा- लपटन साहब पाँच वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे।

'क्यों साहब, हम लोग हिन्दुस्तान कब जाएँगे?'

'लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसन्द नहीं?'

'नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ?याद है, पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे - 'हाँ- हाँ - वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मन्दिर में जल चढ़ाने को रह गया था?बेशक, पाजी कहीं का' - सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थीं। और आपकी एक गोली कन्धे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न! आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएँगे।' 'हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया - ऐसे बड़े-बड़े सींग! दो-दो फुट के तो होंगे?'

'हाँ, लहनासिंह, दो फुट चार इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया?'

'पीता हूँ साहब', दियासलाई ले आता हूँ- कह कर लहनासिंह खन्दक में घुसा। अब उसे सन्देह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए।

अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया।

'कौन?वज़ीरासिंह?'

'हाँ, क्यों लहना?क्या कयामत आ गई?जरा तो आँख लगने दी होती?'

(चार)

'होश में आओ। कयामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है।'

'क्या?'

'लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहन कर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुँह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की हैं। .... साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरेट दिया है।'

'तो अब!'

'अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार होरां, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो। पलटन के पैरों के निशान देखते-देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवें। खन्दक की बात झूठ है। चले जाओ, खन्दक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक न खड़के। देर मत करो,

'हुकुम तो यह है कि यहीं'—

'ऐसी- तैसी हुकुम की! मेरा हुकुम... जमादार लहनासिंह जो इस वक्त यहाँ सब से बड़ा अफसर है, उसका हुकुम है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ।'

'पर यहाँ तो तुम आठ ही हो।'

'आठ नहीं, दस लाख। एक-एक अकालिया सिख सवा लाख के बराबर होता है। चले जाओ।'

लौट कर खाई के मुहाने पर लहनासिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर के तीन गोले निकाले। तीनों को जगह-जगह खन्दक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार-सा बाँध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियासलाई जला कर गुत्थी पर रखने...

बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बन्दूक को उठा कर लहनासिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लहनासिंह ने एक कुन्दा साहब की गर्दन पर मारा और साहब 'आह! मीन गौट' कहते हुए चित्त हो गए। लहनासिंह ने तीनों गोले बीन कर खन्दक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। तीन-चार लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया।

साहब की मूर्छा हटी। लहनासिंह हँस कर बोला- 'क्यों लपटन साहब?मिजाज कैसा है?आज मैंने बहुत बातें सीखीं। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके दो फुट चार इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए?हमारे लपटन साहब तो बिना 'डेम' के पाँच लफ़्ज भी नहीं बोला करते थे।

लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए, दोनों हाथ जेबों में डाले।

लहनासिंह कहता गया, 'चालाक तो बड़े हो पर माँझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए चार आँखें चाहिए। तीन महीने हुए, एक तुरकी मौलवी मेरे गाँव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बाँटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछा

कर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनीवाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़-पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिन्दुस्तान में आ जाएँगे तो गोहत्या बन्द कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाकखाने से रुपया निकाल लो। सरकार का राज्य जानेवाला है। डाक-बाबू पोल्हूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गाँव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गाँव में अब पैर रक्खा तो-'

साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जाँघ में गोली लगी। इधर लहना की 'हैनरी मार्टिनी' के दो फायरों ने साहब की कपाल-क्रिया कर दी। धड़ाका सुन कर सब दौड़े आए।

बोधा चिल्लाया- 'क्या है?'

लहनासिंह ने उसे यह कह कर सुला दिया कि 'एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया' औरों से सब हाल कह दिया। सब बन्दूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कस कर बाँधी। घाव माँस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बन्द हो गया।

इतने में सत्तर जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्खों की बन्दूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। दूसरे को रोका। पर यहाँ थे आठ (लहनासिंह तक-तक कर मार रहा था - वह खड़ा था, और लेटे हुए थे) और वे सत्तर। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे-

अचानक आवाज आई ''वाह गुरु जी दी फतह! वाह गुरु जी दा खालसा!!'' और धड़ाधड़ बन्दूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारासिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहनासिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया।

एक किलकारी और - 'अकाल सिक्खाँ दी फौज आई!' वाह गुरु जी दी फतह! वाह गुरु जी दा खालसा!! सत श्री अकालपुरुष!!!'' और लड़ाई खत्म हो गई। तिरेसठ जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिक्खों में पन्द्रह के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कन्धे में से गोली आरपार निकल गई। लहनासिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खन्दक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कस कर कमरबन्द की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव - भारी घाव लगा है।

लड़ाई के समय चाँद निकल आया था, ऐसा चाँद, जिसके प्रकाश से संस्कृत-कवियों का दिया हुआ 'क्षयी' नाम सार्थक होता है और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में 'दन्तवीणोपदेशाचार्य' कहलाती। वजीरासिंह कह रहा था कि कैसे मन-मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी, जब मैं दौड़ा-दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहनासिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरत-बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते।

इस लड़ाई की आवाज तीन मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट दो डाक्टर और दो बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलीं, जो कोई डेढ़ घण्टे के अन्दर-अन्दर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते-होते वहाँ पहुँच जाएँगे, इसलिए मामूली पट्टी बाँधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहनासिंह की जाँघ

में पट्टी बँधवानी चाही पर उसने यह कह कर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जायेगा। बोधासिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़ कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा– 'तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगन्ध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ।'

'और तुम?'

'मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुरदों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है। देखते नहीं, मैं खड़ा हूँ?वज़ीरासिंह मेरे पास तो है ही।'

'अच्छा, पर...'

'बोधा गाड़ी पर लेट गया?भला! आप भी चढ़ जाओ। सुनिये तो, सूबेदारनी होराँ को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया।'

गाड़ियाँ चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते–चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, 'तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाये हैं। लिखना कैसा?साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था?'

'अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा, वह लिख देना, और कह भी देना।'

गाड़ी के जाते लहना लेट गया। 'वज़ीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबन्द खोल दे। तर हो रहा है।'

(पाँच)

मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म-भर की घटनाएँ एक-एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुन्ध बिल्कुल उन पर से हट जाती है।

x x x

लहनासिंह बारह वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दहीवाले के यहाँ, सब्जीवाले के यहाँ, हर कहीं, उसे एक आठ वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है, 'तेरी कुड़माई हो गई?' तब 'धत्' कह कर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, 'हाँ, कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलोंवाला सालू?सुनते ही लहनासिंह को दुःख हुआ। क्रोध हुआ। क्यों हुआ?

'वज़ीरासिंह, पानी पिला दे।'

x x x

पच्चीस वर्ष बीत गए। अब लहनासिंह नं 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस आठ वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न-मालूम वह कभी मिली थी, या नहीं। सात दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकद्दमें की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारासिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधासिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना। साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गाँव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहनासिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा।

जब चलने लगे, तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला– 'लहना, सूबेदारनी तुमको जानती हैं। बुलाती है। जा मिल आ।' लहनासिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती हैं?कब से?रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जा कर 'मत्था टेकना' कहा। असीस सुनी। लहनासिंह चुप।

'मुझे पहचाना?'

'नहीं।'

'तेरी कुड़माई हो गई ?धत् -कल हो गई-देखते नहीं, रेशमी बूटोंवाला सालू -अमृतसर में....।' भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। करवट बदली। पसली का घाव बह निकला।

'वज़ीरा, पानी पिला।'- 'उसने कहा था।'

x x x

स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है- 'मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ। मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक-हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदारजी के साथ चली जाती?एक बेटा है। फौज में भर्ती हुए उसे एक ही बरस हुआ। उसके पीछे चार और हुए, पर एक भी नहीं जिया। 'सूबेदारनी रोने लगी।' अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग! तुम्हें याद है, एक दिन ताँगेवाले का घोड़ा दहीवाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाये थे, आप घोड़े की लातों में चले गए थे, और मुझे उठा कर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आँचल पसारती हूँ।

रोती–रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आँसू पोंछता हुआ बाहर आया।

''वज़ीरासिंह, पानी पिला'' – 'उसने कहा था।'

x x x

लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वज़ीरासिंह बैठा है। जब माँगता है, तब पानी पिला देता है। आध घण्टे तक लहना चुप रहा, फिर बोला- 'कौन! कीरतसिंह?'

वज़ीरा ने कुछ समझकर कहा– 'हाँ।'

'भइया, मुझे और ऊँचा कर ले। अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले।' वज़ीरा ने वैसे ही किया।

'हाँ, अब ठीक है। पानी पिला दे। बस, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा-भतीजा दोनों यहीं बैठ कर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था।'

वज़ीरासिंह के आँसू टप-टप टपक रहे थे।

x x x

कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा–

फ्रान्स और बेलजियम- 68 वीं सूची- मैदान में घावों से मरा- नं 77 सिख राइफल्स जमादार लहनासिंह।

शब्दार्थ –

बा'छा	–	बादशाह	चितौनी	–	चेतावनी
समष्टि	–	समाज	कुड़माई	–	सगाई
सालू	–	ओढ़नी	खंदक	–	बड़ा गड्ढा, खाई
उदमी	–	शरारती	मंजा	–	खटिया
कोले	–	कोयले	बूटे	–	पौधे
पाजी	–	दुष्ट	मूर्छा	–	बेहोशी
मुरब्बे	–	नहरों के पास की वर्गाकार कृषि भूमि	बरकोट	–	ओवर कोट
			धावा	–	आक्रमण
बर्रा	–	बड़बड़ाना	तीमियों	–	औरतों
जलजला	–	भूकंप	हुज्जत	–	विवाद
विदूषक	–	मसखरा	खोते	–	गधे
पारसाल	–	विगत वर्ष	माँदे	–	बीमार
कयामत	–	प्रलय	हड़का	–	पागल
क्षयी	–	नष्ट होने वाला	लाम पर जाना	–	लड़ाई पर जाना
नमक हलाली	–	स्वामिभक्ति	पट्ट	–	जाँघ
ओबरी	–	अंदर का घर	पाधा	–	पुरोहित

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

1. 'उसने कहा था' - कहानी का नायक है –
   (क) वज़ीरा सिंह (ख) लहना सिंह
   (ग) हजारा सिंह (घ) बोधा सिंह ( )

2. 'तेरी कुड़माई हो गई?'– कथन में निहित भाव है–
   (क) अवसाद (ख) असफलता
   (ग) निश्छल प्रेम (घ) वेदना ( )

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. पलटन का विदूषक किसे माना जाता था?
2. "कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है।" - यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा?
3. सूबेदारनी के चरित्र की दो विशेषताएँ लिखिए।

4. 'उसने कहा था' कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण चित्रित है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. 'उसने कहा था' कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी कीजिए।
2. 'बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही'- कथन की युक्तियुक्त विवेचना कीजिए।
3. सूबेदारनी ने स्वप्न में लहनासिंह से क्या कहा?अपने शब्दों में लिखिए।
4. 'उसने कहा था' कहानी की मूल संवेदना क्या है?

निबंधात्मक प्रश्न–

1. यदि आप लहनासिंह के स्थान पर होते तो युद्ध भूमि में क्या करते?तर्क सहित उत्तर दीजिए।
2. 'उसने कहा था' कहानी के नायक लहनासिंह का चरित्र-चित्रण कीजिए।

****

आत्मकथा अंश

सत्य के प्रयोग

- मोहनदास करमचन्द गांधी

लेखक-परिचय

मोहनदास करमचन्द गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को गुजरात (काठियावाड़) के पोरबन्दर नामक स्थान पर हुआ। गांधी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह (सविनय अवज्ञा) के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धान्त पर आधारित थी। आज पूरा संसार उन्हें 'महात्मा गांधी' के नाम से जानता है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने 6 जुलाई, 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें 'राष्ट्रपिता' कहकर सम्बोधित करते हुए आजाद हिन्द फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ माँगी थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्मदिवस 'गांधी जयन्ती' और विश्व में 'अन्तरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी, 1948 को हुआ।

पाठ-परिचय

इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित 'सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा' के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनूदित कुछ अंशों का संकलन है। पाठ का 'सभ्य पोशाक में' अंश जहाँ विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है, वहीं 'बलवान से भिड़न्त' में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बँधती है। 'आत्मिक शिक्षा' हमें संयम और आत्म-निर्माण के लिए प्रेरित करती है। 'शांति निकेतन' अंश में गाँधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओत-प्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार कराया है तो 'खादी का जन्म' में स्वावलम्बन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्त्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।

* * * *

'सभ्य' पोशाक में

अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गयी। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिलीं, मैंने खरीद लीं और पढ़ डालीं। उनमें हावर्ड विलियम्स की 'आहार-नीति' नामक पुस्तक में अलग-अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगम्बरों के आहार का और आहार-विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथोगोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज ऐना किंग्सफर्ड की 'उत्तम आहार की रीति' नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही, डॉ. एलिन्सन के आरोग्य-विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर-फेर से ही रोगी को नीरोग करने की

पद्धति का समर्थन करते थे। डॉ. ऐलिन्सन स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार-विषयक प्रयोगों ने महत्त्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी। बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी।

इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिन्ता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊँगा, तो कमजोर हो जाऊँगा। यही नहीं, बल्कि मैं बेवकूफ बना रहूँगा; क्योंकि अंग्रेजों के समाज में घुलमिल ही न सकूँगा। वे जानते थे कि मैं अन्नाहार-विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित-चित्त बन जाऊँगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जायेगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊँगा और 'पोथी-पंडित' बन बैठूँगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉबर्न भोजनगृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था; क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैंकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली 'प्लेट' मंगाई। वह 'सूप' की थी। मैं परेशान हुआ। मित्र से क्या पूछता?मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया।

मित्र समझ गये। चिढ़कर मुझसे पूछा :

''क्या है?''

मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा :

''मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं?''

''ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किच-किच करनी हो, तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजनगृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो।''

मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजनगृह था। पर वह तो बन्द हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गये। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुँह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या?

लेकिन यह हमारे बीच का अन्तिम मित्र-युद्ध था। न हमारा सम्बन्ध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया।

पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा। सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा।

मैंने 'सभ्यता' सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा।

विलायती होने पर भी बम्बई के कटे-सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे, इस विचार से मैंने ''आर्मी और नेवी' स्टोर में कपड़े सिलवाये। उन्नीस शिलिंग की (उस जमाने के लिहाज से तो यह

कीमत बहुत ही कही जायेगी) 'चिमनी' टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो बॉण्ड स्ट्रीट में, जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, दस पौण्ड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिलवाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मँगवायी और वह मिल भी गयी। बंधी-बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बाँधने की कला हस्तगत की। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बाँधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी माँग निकालने में रोज लगभग दस मिनट तो बरबाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश (झाडू ही समझिये!) के साथ रोज लड़ाई चलती थी। और, टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो माँग को सहेजने के लिए सिर पर पहुँच ही जाता था और बीच-बीच में, समाज में बैठे-बैठे, माँग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी।

पर इतनी टीमटाम ही काफी न थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था?मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिये थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए। उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए; क्योंकि फ्रेंच इंगलैण्ड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी। और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा, सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भरती हुआ। एक सत्र के करीब तीन पौण्ड जमा किए। कोई तीन हफ्तों में करीब छह सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते न थे। पियानो बजता था, पर वह क्या कह रहा है, कुछ समझ में न आता था। 'एक, दो, तीन' चलता, पर उसके बीच का अन्तर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था। तो अब क्या किया जाए?अब तो बाबाजी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, यों बाबाजी का परिवार बढ़ा; उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। वायोलिन बजाना सीख लूं, तो सुर और ताल का खयाल हो जाए। तीन पौण्ड वायलिन खरीदने में गँवाये और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए! भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की 'स्टैण्डर्ड एलोक्युशनिस्ट' पुस्तक खरीदी। पिट का एक भाषण शुरू किया।

इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी (बेल) बजायी। मैं जागा।

मुझे कौन इंग्लैण्ड में जीवन बिताना है?लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूंगा? नाच-नाचकर मैं सभ्य कैसे बनूंगा?वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ। मुझे विद्या-धन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से सम्बन्ध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए।

इन विचारों की धुन में मैंने उपर्युक्त आशय के उद्‌गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने दो या तीन ही पाठ पढ़े थे। नृत्य-शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन-शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुँचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके, बेच डालने की इजाजत दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा सम्बन्ध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल

जाने की मेरी बात उन्होंने पसन्द की।

सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग तीन महीने चली होगी। पोशाक की टीमटाम तो बरसों चली पर अब मैं विद्यार्थी बना।

बलवान से भिड़न्त

अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें।

एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिस्बर्ग में था। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिन्दुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं, बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज शिकायतें आतीं, ''हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले सौ-सौ पौंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा?'' मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांध दूर न हो, तो मेरा ट्रान्सवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा।

मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया, तो मैं पुलिस-कमिश्नर के पास पहुँचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने का कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया पर जिस तरह मैं जानता था, उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दण्ड दिलाना कठिन है। उसने कहा, ''फिर भी हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊँगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूँगा।''

मुझे तो विश्वास था ही। दूसरे अधिकारियों पर भी सन्देह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण था। दो के बारे में कोई सन्देह नहीं था। अतएव दो के नाम वारंट निकले।

मेरा आना-जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्रायः प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन दो अधिकारियों के छोटे-बड़े जासूस तो थे ही। वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने-जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुँचाते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज्यादा था कि उन्हें ज्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिन्दुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती, तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते।

इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला। प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुँच चुका था, फिर भी दोनों छूट गये!

मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुःख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गयी। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी।

दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बरखास्त हो गये और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिन्दुस्तानियों को धीरज बँधा

और उनकी हिम्मत भी बढ़ी।

इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गयी। मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। हिन्दुस्तानी समाज के जो सैंकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे पर यह कहा जा सकता हैं कि जो प्रामाणिक थे, वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे।

मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला, तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिस्बर्ग की म्युनिसिपॉलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया, उन्हें नौकरी मिल भी गयी।

मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के सम्पर्क में आया, वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था, इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद हैं और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है।

मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएँ हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले-बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। यह चीज समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है।

सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा हैं। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती, तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रचे गये हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान हैं। व्यवस्थापक में अनन्त शक्तियाँ निहित हैं। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुँचती है।

आत्मिक शिक्षा

विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्मग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने-अपने धर्म के मूल तत्त्व जानने चाहिए, अपने-अपने धर्मग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके; किन्तु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिलकुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉल्स्टॉय आश्रम

के बालकों को सिखाने लगा उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था।

मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है; लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भाररूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन् 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे।

आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाय?मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किन्तु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे-जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हों चाहे न हों, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूँ और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूँ, तो वह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थपाठ-सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बनें। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टॉल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था।

आश्रम में एक युवक बहुत ऊधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता-झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही ऊधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुँचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाँह पर दे मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफी माँगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुँची, इससे वह रोया न था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता, तो मुझसे निबट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उमर कोई सतरह साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था। पर मेरे रूल में उसे मेरे दुःख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया। लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं, बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया था।

बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक कर नहीं सका हूँ। इस दण्ड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दण्ड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुःख का ही प्रदर्शन होता, तो मैं उस दण्ड को उचित समझता पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता, तो उसका कैसा परिणाम होता, यह मैं कह नहीं सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरन्त भूल गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दण्डनीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा।

शांति निकेतन

राजकोट से मैं शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुन्दर मिश्रण था। वहाँ मैं काकासाहब कालेलकर से पहले-पहल मिला।

कालेलकर 'काकासाहब' क्यों कहलाते थे, यह मैं उस समय नहीं जानता था; लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे, जो विलायत में मेरे समकालीन थे, और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्य में 'गंगनाथ विद्यालय' चला रहे हैं। उनकी अनेक भावनाओं में से एक यह भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इस विचार से वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गये थे। उनमें कालेलकर को 'काका' नाम मिला। फड़के 'मामा' बने। हरिहर शर्मा 'अण्णा' कहलाये। दूसरों के भी यथायोग्य नाम रखे गये। काका के साथी के रूप में आनन्दानन्द (स्वामी) और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन (आप्पा) आगे चलकर इस कुटुम्ब में सम्मिलित हुए। इस कुटुम्ब के उपर्युक्त पाँचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। देशपांडे 'साहब' के नाम से पुकारे जाने लगे। साहब का विद्यालय बन्द होने पर वह कुटुम्ब बिखर गया पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक सम्बन्ध न छोड़ा। काकासाहब भिन्न-भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे।

शांति निकेतन में मेरे मण्डल को अलग से ठहराया गया था। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फीनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते-कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगन्ध फैला दी थी। ऐण्ड्रज तो यहाँ थे ही। पियर्सन थे। जगदानन्दबाबू, नेपालबाबू, संतोष बाबू, क्षितिमोहनबाबू, नगेनबाबू, शरदबाबू और कालीबाबू के साथ हमारा खासा सम्पर्क रहा।

अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुलमिल गया, और स्वपरिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि वैतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना लें तो अच्छा हो। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोईघर पर शिक्षक-समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयंपाक का पदार्थ-पाठ सीखेंगे। एक-दो शिक्षकों ने सिर हिलाया। कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नई चीज, फिर यह कैसी भी क्यों न हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरु हुआ। जब कविश्री के सामने यह चीज रखी गयी, तो उन्होंने अपनी यह सम्मति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हों, तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा 'इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है।'

पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने-आपको खपा दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मण्डली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की। रसोई घर के आस-पास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेनबाबू आदि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा।

लेकिन मेहनत के इस काम को सवा सौ विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे। अतएव रोज चर्चाएँ चलतीं। कुछ लोग थक जाते। परन्तु पियर्सन क्यों थकने लगे?वे हँसते चेहरे से रसोई घर के किसी-न-किसी काम में जुटे ही रहते। बड़े-बड़े बरतन माँजना उन्हीं का काम था। बरतन माँजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों की छत्ते की भाँति गूँजने लगा।

इस प्रकार के फेर-फार जब एक बार शुरू हो जाते हैं, तो फिर वे रुक नहीं पाते। फीनिक्स का रसोईघर स्वावलम्बी बन गया था, यही नहीं, बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। मसालों का त्याग किया गया था। अतएव भात, दाल, साग तथा गेहूँ के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोईघर शुरू किया था। उसमें एक-दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोईघर को स्वावलम्बी बनाने का प्रयोग शुरु किया जा सका था।

पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बन्द हो गया। मेरा विश्वास यह है कि इस जगद्-विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं, और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे।

मेरा विचार शांतिनिकेतन में कुछ समय रहने का था; किन्तु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीटकर ले गया। मैं मुश्किल से वहाँ एक हफ्ता रहा होऊँगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार मिला। शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब मेरे पास संवेदना के लिए आये। मन्दिर में विशेष सभा की गयी। यह गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगन लाल गांधी को अपने साथ लिया, बाकी सब शांति निकेतन में रहे।

बर्दवान तक ऐण्ड्रूज मेरे साथ आये थे। उन्होंने मुझसे पूछा, ''क्या आपको ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा?और अगर ऐसा हो, तो कब आएगा, इसकी कोई कल्पना आपको है?''

मैंने जवाब दिया, ''इसका उत्तर देना कठिन है। अभी एक वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवायी है कि मुझे एक वर्ष तक देश में भ्रमण करना है, किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है, न प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की जरूरत होगी तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि पाँच वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा।''

यहाँ यह कहना अप्रस्तुत न होगा कि 'हिन्द स्वराज्य' में मैंने जो विचार व्यक्त किये हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, ''आप एक वर्ष हिन्दुस्तान में रहकर देखेंगे, तो आपके विचार अपने-आप ठिकाने आ जाएँगे।''

खादी का जन्म

मुझे याद नहीं पड़ता कि सन् 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी मैंने 'हिन्द स्वराज्य' में यह माना था कि चरखे के जरिये हिन्दुस्तान की कंगालियत मिट सकती है और यह तो सब के समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी, उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन् 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिन्दुस्तान वापस आया, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किये थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे; हम में कोई कारीगर नहीं था। इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया पर मगनलाल गांधी शुरु किये हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नये-नये बुनने वाले तैयार हुए।

हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रमवासियों ने मिल के कपड़े पहनना बन्द किया और यह निश्चय किया कि वे हाथ-करघे पर देशी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिन्दुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन-दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सबकी जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरन्त बुन सकें, ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देशी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत कातती न थी। आज भी वे महीन सूत

अपेक्षाकृत कम ही कातती हैं; बहुत महीन तो कात ही नहीं सकतीं। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे, जिन्होंने देशी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देशी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यों हम कातने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। मिलों के सम्पर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद कातकर खुद ही बुनना था, वे हाथ-करघों की सहायता स्वेच्छा से नहीं, बल्कि अनिच्छा से करती थीं।

यह सब देखकर हम हाथ से कातने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से कातेंगे नहीं, तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हम देशसेवा करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत न हुआ।

लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न कहीं चरखे का चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काता जा सकता है इसका तो हमें खयाल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोजकर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत कातकर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा, जो नये काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ न लगा।

दिन तो बीते जा रहे थे। मैं अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से, जो इस विषय में कुछ बता सकता हो, मैं पूछताछ किया करता था। पर कातने का इजारा तो स्त्री का ही था। अतएव ओने-कोने में पड़ी हुई कातना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी।

सन् 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ौंच शिक्षा परिषद् में घसीट ले गये थे। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिलीं। वे पढ़ी-लिखी अधिक नहीं थीं, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है, उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी, वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती थीं। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहाँ अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थीं। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद् में प्राप्त हुआ। अपना दुःख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हलका कर दिया।

****

शब्दार्थ –

मुलतवी	–	स्थगित
आरोग्य	–	स्वास्थ्य
आईना	–	दर्पण

उद्गार	–	अपने मन की बात
ऊधम	–	शरारत
विलायत	–	इंग्लैण्ड
अवसान	–	मृत्यु
इज़ारा	–	ठेका / एकाधिकार

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

1. एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था–

   (क) जूलू में (ख) चीन में

   (ग) जोहानिस्बर्ग में (घ) नेटाल में ( )

2. शान्तिनिकेतन में गांधी जी पहली बार किनसे मिले?

   (क) केशवराय देशपाण्डे से (ख) जगदानन्द बाबू से

   (ग) मगन लाल गांधी से (घ) काका कालेलकर से ( )

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. 'आहार-नीति' पुस्तक में किनके विचारों का वर्णन किया गया है?
2. गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है?
3. 'हिन्द स्वराज्य' पर गांधी जी के विचारों का मज़ाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा?
4. शान्तिनिकेतन में बरतन माँजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी?

लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. बेल साहब ने गांधी जी के जीवन-प्रवाह को किस तरह प्रभावित किया?
2. दण्ड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका थी?
3. गोखले ने गांधी जी को क्या प्रतिज्ञा करवाई?
4. 'फीनिक्स का रसोईघर स्वावलम्बी बन गया था।'- कैसे?

निबंधात्मक प्रश्न–

1. गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग किए, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए।
2. संकलित आत्मकथांश के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएँ लिखिए।
3. 'खादी का जन्म' पाठांश का सार अपने शब्दों में लिखिए।

रेखाचित्र

गौरा

\- महादेवी वर्मा

लेखक-परिचय

महादेवी वर्मा (1907 ई.-1987 ई.) हिन्दी के छायावादी काव्य-आन्दोलन के चार प्रमुख स्तंभों में से है। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। इन्हें 'आधुनिक युग की मीराँ' भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की चिंतन-वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रवाहित हुई है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्त्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिन्दी संस्मरण और रेखाचित्र विधा को अप्रतिम ऊँचाई दी। महादेवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है। उनकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं –

कविता–संग्रह	–	'नीहार', 'रश्मि', 'नीरजा', 'सांध्यगीत', 'दीपशिखा', 'यामा' आदि।
संस्मरण एवं रेखाचित्र	–	'अतीत के चलचित्र', 'स्मृति की रेखाएँ, 'पथ के साथी', 'मेरा परिवार'।
निबंध–संग्रह	–	शृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध।

पाठ-परिचय

'गौरा' रेखाचित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गौरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिम्ब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य - 'आह, मेरा गोपालक देश'! संपूर्ण रेखाचित्र का वह मार्मिक कथन है, जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है।

****

गौरा मेरी बहिन के घर पली हुई गाय की वयःसन्धि तक पहुँची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी।

बहिन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु-पक्षी पाला करती हो- एक गाय क्यों नहीं पाल लेती, जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहिन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी हैं और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में।

यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं, यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद सम्बन्धी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया।

वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु-पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी,

कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है।

पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लम्बी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे-छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लम्बी और अन्तिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूँछ, सब कुछ साँचे में ढला हुआ-सा था। गाय को मानो इटेलियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो।

स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था, उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी।

गौरा को देखते ही मेरी पालने के सम्बन्ध में दुविधा निश्चय में बदल गई।

गाय जब मेरे बंगले पर पहुँची, तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार- सा उमड़ आया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केशर-रोली का बड़ा-सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही-पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं, इस पूजा-अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परन्तु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में जब आरती के दिये की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा, जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिये प्रवाहित कर दिये हों।

गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शन थी, विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आँखों का तरल सौन्दर्य तो दृष्टि को बाँधकर स्थिर कर देता था। चौड़े, उज्ज्वल माथे और लम्बे तथा साँचे में ढले हुए से मुख पर आँखें बर्फ में नीचे जल के कुण्डों के समान लगती थीं। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरन के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परन्तु उसकी आँखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है, न आतंक।

महात्मा गाँधी ने 'गाय करुणा की कविता है', क्यों कहा, यह उसकी आँखें देखकर ही समझ में आ सकता है।

गौरा की अलस मन्थर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएँ हैं। तीव्र गति में सौन्दर्य है; परन्तु वह मन्थर गति के सौन्दर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परन्तु मन्द समीर से फूल का अपने वृन्त पर हौले-हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है।

कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु-पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अन्तर भूल गए। कुत्ते-बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आँखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आँखें मूँदकर मानो उनके सम्पर्क-सुख की अनुभूति में खो जाती थी।

हम सबको वह आवाज से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ-बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा

करने के उपरान्त रंभा-रंभाकर घर सिर पर उठा लेती थी।

उसका हमसे साहचर्यजनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कन्धे पर रखकर आँखें मूँद लेती। जब उससे दूर जाने लगते, तब गर्दन घुमा-घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परन्तु उल्लास, दुःख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया-छवियाँ उसकी बड़ी और काली आँखों में तैरा करती थीं।

एक वर्ष के उपरान्त गौरा एक पुष्ट सुन्दर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे, मानो गेरू की बनी वत्समूर्ति को चाँदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परन्तु उसे सब लालू के सम्बोधन से पुकारने लगे। माता-पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध-महोत्सव आरम्भ हुआ। गौरा प्रातः सायं बारह सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आस-पास के बाल-गोपाल से लेकर कुत्ते-बिल्ली तक सब पर मानो 'दूधो नहाओ' का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते-बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्धदोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमन्त्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप-नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता; जिसे पीने के उपरान्त वे एक बार फिर अपने-अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन-सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने-कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलम्ब होता, वह रम्भा-रम्भाकर मानो उन्हें पुकारने लगती।

पर अब दुग्धदोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दुहना जानते ही नहीं थे और जो गाँव से आये थे, वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घण्टों लगा देते थे। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया।

दो-तीन मास के उपरान्त गौरा ने दाना-चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी । चिन्तित होकर मैंने पशु-चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अन्त में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त-संचार के साथ हृदय तक पहुँच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जायेगी, तब रक्त-संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है।

मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है?दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं। परन्तु सम्भव है, उसी में सुई चली गई होगी, पर डाक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने-चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है । गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अन्ततः रक्त-संचार में मिलकर हृदय में पहुँच सकती है।

अन्त में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ, जिसकी कल्पना भी मेरे लिए सम्भव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में, जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते

ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अन्तर्धान हो गया, अतः सन्देह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असम्भव था।

तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरम्भ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेव का रस पिलाया जावे, तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की सम्भावना है। अतः नित्य कई-कई सेर सेवों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इञ्जेक्शन पर इञ्जेक्शन दिये जाते। पशुओं के लिए इञ्जेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लम्बी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इञ्जेक्शन भी अपने आप में 'शल्यक्रिया' जैसा यातनामय हो जाता था। पर गौरा अत्यन्त शान्ति से बाहर और भीतर, दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी-कभी उसकी सुन्दर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की दो बूँदें झलकने लगती थी।

अब वह उठ नहीं पाती, परन्तु मेरे पास पहुँचते ही उसकी आँखों में प्रसन्नता की छाया-सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कन्धे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी।

लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था, अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुँचकर या अपना सिर मार-मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल-कूदकर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव-जन्तु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय-असमय विदा देनी ही पड़ती है; परन्तु ऐसी मर्मव्यथा का मुझे स्मरण नहीं है।

इतनी हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर, दूध-सी उज्ज्वल पयस्विनी गाय अपने इतने सुन्दर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण, निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आँसू आ जाते थे।

लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया, स्थानीय पशु-चिकित्सक तो दिन में दो-तीन बार आते रहे; परन्तु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया, जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है, जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गौरा की सुन्दर चमकीली आँखे, निष्प्रभ हो चलीं और सेव का रस भी कण्ठ में रुकने लगा, तब मैंने अन्त का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अन्त समय उपस्थित रह सकूँ। दिन में ही नहीं रात में भी कई -कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही।

अन्त में एक दिन ब्रह्ममुहूर्त में चार बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कन्धे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाँह पर से सरककर धरती पर आ गया। कदाचित् सुई ने हृदय को बेधकर बन्द कर दिया।

.......गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परन्तु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता-कूदता रहा। यदि दीर्घ निःश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके, तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी 'आह, मेरा गोपालक देश'!

****

शब्दार्थ –

वयः संधि	–	किशोरावस्था	गौवत्स	–	गाय का बछड़ा
संक्रामक	–	छूत के कारण फैलने वाला	कुक्कुट	–	मुर्गा
चामर	–	चँवर	ओप	–	चमक
आलोक	–	प्रकाश	परिचारक	–	सेवक
प्रतिफलित	–	प्रतिबिंबित	प्रियदर्शन	–	सुंदर
अलस	–	आलस्य, शैथिल्य	मंथर	–	धीमा
समीर	–	हवा	हौले-हौले	–	धीरे–धीरे
साहचर्य	–	संग, साथ	वलय	–	मंडल, कंकण
हिमराशि	–	बर्फ का ढेर	अनभ्यास	–	अभ्यास रहित
शल्य क्रिया	–	चीरफाड़ कर इलाज करना	यातनामय	–	पीड़ाकारी
परिक्रमा	–	चारों ओर घूमना	पयस्विनी	–	दूध देने वाली
निरुपाय	–	उपाय रहित	ब्राह्म मुहूर्त	–	प्रभात
प्रतिध्वनि	–	गूँज			

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1 'गाय करुणा की कविता है' - उक्त कथन है -

(अ) स्वामी विवेकानन्द का (ब) महात्मा गांधी का

(स) महादेवी वर्मा का (द) बर्नाड शा का

2 गौरा की मृत्यु हुई –

(अ) लम्बी बीमारी से (ब) जहरीली घास खाने से

(स) सुई खिलाने से (द) उम्र पूरी होने से

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न -

1 गौरा के पुत्र का क्या नाम रखा गया?

2 स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है?

3 लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया?

4 'जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है।' - लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति क्या थी?

लघूत्तरात्मक प्रश्न -

1 गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया? अपने शब्दों में लिखिए।

2 'गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शन थी।'- कथन के आधार पर गौरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएँ लिखिए।

3 'अब हमारे घर में दुग्ध-महोत्सव प्रारंभ हुआ।'- कथन में वर्णित 'दुग्ध-महोत्सव' के अवसर का

चित्रण कीजिए।

4 गौरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने क्या-क्या प्रयत्न किए?संक्षेप में लिखिए।

5 'गाय करुणा की कविता है।'- उक्त कथन के आलोक में 'गौरा' रेखाचित्र की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न –

1. 'गौरा' रेखाचित्र की विशेषताएँ लिखिए।
2. 'आह, मेरा गोपालक देश'! - पंक्ति में निहित वेदना का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए।

****

उपन्यास अंश

मानस का हंस

- अमृत लाल नागर

लेखक-परिचय

अमृत लाल नागर (1916 ई.-1990 ई.) ने लगभग आधी शताब्दी तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य-जगत् को गौरवान्वित किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। आपने हिन्दी गद्य की लगभग समस्त विधाओं में लेखनी चलाई। प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं-

उपन्यास - 'बूँद और समुद्र', 'सुहाग के नूपुर', 'अमृत और विष', 'एकदा नैमिषारण्ये', 'मानस का हंस', 'नाच्यौ बहुत गोपाल', 'खंजन नयन' आदि।

कहानी संग्रह - 'वाटिका', 'अवशेष', 'एटम बम', 'पीपल की परी', 'एक दिल हजार अफ़साने' आदि।

अन्य - चैतन्य महाप्रभु (जीवनी), साहित्य और संस्कृति (निबंध), चकल्लस (व्यंग्य), हमारे युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक (बाल साहित्य) आदि।

पाठ-परिचय

'मानस का हंस' गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। संकलित अंश में तुलसीदास का अन्तर्द्वन्द्व, तत्कालीन समाज की मनःस्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इस अंश में तुलसीदास रामभक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चात्ताप भी है। लोक-कल्याण के लिए वे वैराग्यमय जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। वह प्रबुद्ध और तर्कशीला है। सम्पादित अंश में तुलसी-रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है।

****

गोस्वामी जी लोलार्क कुण्ड के मठ में भगवान श्रीकृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में सम्भ्रांत भक्तों की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्त्व बतलाते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी' वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं। शिव के गुणगान करते हैं। लोगों को समझाते हैं- ''जैसे चुटकी में डोर सधी होने पर पतंग को, आकाश में चाहे कहीं भी विचरे, कोई बाधा नहीं पहुँचती। वैसे ही अपने इष्ट से सधकर भाव की डोर में बँधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ, सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्वसामर्थ्यवान् के रूप में अपने आपको प्रकट करेगा।''

भक्त गए, एकान्त हुआ। अपना प्रवचन आप ही खाने लगा, 'हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद, पुराण, शास्त्र और सन्तों की वाणी में आपको पाने के लिए जो-जो साधन बतलाए गए हैं वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे ध्यान में जैसे कभी-कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं वैसे आप क्यों नहीं आते? मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ पर प्रतीति

क्यों नहीं होती?' गोस्वामी तुलसीदास अपने-आप में उदास थे। अपने दुःखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने सन्ताप को अधिक गहरा कर दिया।

एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन-कौन से व्यंजन बनें। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा - ''जो भगवान को रुचता हो वही बनवाओ।''

शिष्य बोला - ''गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाकशास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे।''

''उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है। जाओ, जो रुचे सो बनाओ।''

शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। दालान में मन्दिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा-मुरलीधर की मूर्तियाँ निहारने लगे, 'हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सधा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरम्भ कर दिया है। हे हरि, मुझ दीन-दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं! एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी-कुचाली कहती है। केशव, यह दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएँ तो मुझमें कदापि नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी। एक बार यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन-भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सान्निध्य चाहिए।' इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे, भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे।

''विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं।''

नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले- ''कहाँ हैं राजा?'' कहकर वे मन्दिर वाले दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। देहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी। उनका तपोपूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आँखों से आँखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी–केश विहीन तुलसीदास के नये रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े- ''अरे, भैया, तुम तो एकदम बदल गए।'' परन्तु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरन्त अपने-आपको मुक्त कर लिया; किंचित् रूखे स्वर में पूछा– ''इन्हें क्यों लाए?''

रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल-भर के लिए मन से राम बिसर गए। रोष ठहर न पाया। मृदुल स्वर में राजा से कहा- ''भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। (शिष्य की ओर देखकर) प्रभुदत्त!''

''आज्ञा सरकार।''

''अपनी माता जी को ऊपर के कक्ष में पहुँचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माता जी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहें तो किसी को उनके साथ भेज दो।''

रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने सन्तोष की आभा प्रदान कर दी।

नहा-धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से ही अपने एक काशी स्थित नातेदार हिरदै अहिर से मिलने के लिए चले गए।

मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई हैं। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास ने किसी भृत्य से 'माता जी' के सम्बन्ध में पूछा तो पता चला कि वे रसोईघर में रसोइये को सहायता दे रही हैं। तुलसीदास के मन पर सन्तोष के भाव ने छाना चाहा पर छा न सका; लेकिन किसी प्रकार का असन्तोष भी मन में न जागा। वे भागवत बाँचते रहे।

भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। सन्तोष हुआ। राजा से उन्होंने गाँव-जवार में सबकी खैर-खबर पूछी। अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के सम्बन्ध में एक शब्द भी न पूछा।

दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले- ''गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्नादेवी हमारे बाल मित्र की धर्मपत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाएँ।''

टोडर उल्लसित स्वर में बोले- ''हाँ, हाँ, वहाँ जाएँगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा।''

दो-चार दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना-सामना एक बार भी न हुआ। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते–फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाय पर रत्नावली ने सतर्कतापूर्वक अपने आपको उनकी दृष्टि से बचाया। हाँ, भोजन के समय उन्हें, अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। वे थाली के सामने बैठकर बार-बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बँध जाते थे।

पण्डित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुँची तो रत्नावली को लिवा जाने के लिए तुरन्त उनके यहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रह्लाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया दो गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले- ''अरे भाई, गोसाईं क्या बना हूँ कि आठों पहर तर माल चाभते–चाभते दुःखी हो गया हूँ।'' एक घूंट पिया, मलाई चाभते हुए मुँह बनाया, फिर मुस्कराए, कहा- '' वाह रे राम जी, कहाँ तो एक वह दिन था कि कटोरी-भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था और कहाँ अब इस सोंधे दूध की मलाई को खाते भी खुनस लगती है।''

राजा बोले- ''काहे खुनसाते हो भइया! तुम्हारी जिभ्या से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइंयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मान कर ही चलते हैं।''

गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बात में उन्हें राजा के मन का हल्का-सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरन्त ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बन्द करने का निश्चय किया, कहा- ''है तो यह ऊँची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामीत्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ।''

राजा, तुलसी का पैंतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी, कहने लगे- ''दो तपसी जब मिल जाते हैं तब दोनों को एक-दूसरे से आगे बढ़ने का हौंसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भइया सारा जग देख रहा है पर हम तो भौजी का तप देख-देखकर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी।''

तुलसी चुप रहे, रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के यह उद्‌गार सुनकर उन्हें भला लगा, उन्हें वैसा ही सन्तोष हुआ जैसा कि अपने सम्बन्ध में सुनकर होता। और यह सन्तोष जिस तेजी से अपने चरम बिन्दु पर पहुँचा उससे ही मन का परदा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आपको कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ रामनाम फिर से घट में गुंजाना आरम्भ कर दिया। राजा कह रहे थे- ''गाँव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रहीं और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। आप बिना चुपड़ी, बिना साग भाजी से दो रोटी खाकर अपने दिन बिताती हैं। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठके में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक-एक चीज को सहेज-संभालकर रखना, कहाँ तक कहें भैया, भौजी जैसी तपसिन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बाँध रखा है।''

मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे सन्तोष से बीच-बीच में फिर बिसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य—पट पर बार-बार आने लगी। परदा दर परदा मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बातें करें। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था, चेत ! और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जनें जब फिर अपनी—अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा- ''सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायन रच डाली है। जब रावन उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निन्दा के कारण बाल्मीकि मुनी के आश्रम में भेज दिया तब भी, राम जी सुखी न रह पाये। बायाँ अंग जब कट जाय तब दायाँ भला कैसे सुख पा सकता है?''

तुलसीदास को यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थीं और कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा- ''अच्छा, अब हम विश्राम करेंगे।'' लेट गए। चद्‌दर तान ली। करवट बदल ली, राम-राम भी जपना आरम्भ कर दिया, पर रत्नावली उनके मन से न हटी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना दुःख-सुख कहे। 'मैं राम के लिए तड़पता हूँ वह मेरे लिए। राम जी कदाचित् मुझे इसीलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूँ अपने पास! उसे सन्तोष मिलेगा तो कदाचित् राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएँगे।' तुलसी का मन कभी ऊहापोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबारकर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। सवेरे पण्डित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया, उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएँगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया, कहा- ''महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे।''

तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए ही यह प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं।

वे बोले- ''विरक्त अब फिर से राग के बन्धनों में नहीं बँध सकता।''

''आप उन्हें अब यहीं रहने दें महात्मा जी....''

बात पूरी भी न हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले- ''क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर ही में लटका दूँ?यह असंभव है टोडर।''

''क्षमा करें महात्मा जी, किन्तु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी?वल्लभ गोस्वामी की घर-गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ किया।''

तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा- ''तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर, आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया। यह घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतना ह्रास हो गया है कि उसे यदि एक स्तर तक उठाए न रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा।''

टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी-रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यन्त्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलास कवि को भी, अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम आए उन्होंने कहा। कैलास आए उन्होंने कहा। मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा- ''माता जी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी।''

तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते परन्तु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। 'काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है। उससे कहीं अच्छा है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शान्त रहे।' मन का हाला-डोला उन्हें तरह-तरह से मथित करने लगा।

एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गईं। नाथू, गोसाईं जी की सेवा में पहुँचा। उनके चरणों में ढोका देकर उसने अपनी किस्वत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पैनाना शुरू किया। एक भृत्य ने आकर गोसाईं जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर सन्तोष की आभा चमकी। बोले- ''सरवन, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना। उनकी सेवा में कोई कमी न आए।''

भृत्य सरवन के 'अच्छा महाराज जी', कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला- ''माता जी आ गईं सरकार, यह बड़ा सुभ भया।''

तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाईं जी की ठोड़ी को पानी से तर करके मींजते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा- ''ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज। कलजुग में सबका मन काला हो गया है।''

तुलसी आँखें मींचे मौन बैठे सुखानुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया- ''जब से माता जी कासी आई हैं तब से रोज लोग-बाग हमसे पूछते हैं कि नत्थू, माता जी अब क्या यहीं रहेंगी?अब हम क्या कहें सरकार जी?अरे माता जी यहाँ रहें चाहें न रहें, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बड़ी हवेली के गोसाईं महाराज भी तो गिरहस्त हैं। पर नहीं, उनको कोई कुछ न कहेगा। आपके लिए लोग रोक-टोक करते हैं। कहते हैं, चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरा पाख है। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग-बिलास में...''

तुलसीदास के मन में सन्तोष और सुख का महल बालू की दीवार-सा ढह पड़ा। वे उत्तेजित हो गए, बोले- ''इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नत्थू।''

सयाना नाथू गोस्वामी जी का रुख देखकर सहमकर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अँधड़ उठने लगे। कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर और कभी रत्नावली तथा राजा पर क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए।

हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा, बार-बार पानी मींजा जाता रहा पर तुलसीदास का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा- 'हे दीनबन्धु सुखसिन्धु कृपाकर, कारुणीक रघुराई ! सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। वह बौरा गया है। कभी योगाभ्यास करता है तो कभी वह शठ भोग-विलास में फँस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान् बन जाता है। कभी दीन, कभी मूर्ख-कंगाल और कभी घमण्डी राजा बन जाता है। वह कभी पाखण्डी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रुभय सताता है, और कभी जगत को नारीमय देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुःखी हूँ रघुनाथ। संयम जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका; किन्तु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे नीरोगी बनाइए। अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए, नाथ। मैं अब बहुत-बहुत तप चुका हूँ।' बन्द आँखों से आँसू टपकने लगे।

नाथू ने जो यह देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास बाहरी होश में आ गए। भरी हुई आँखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगोछे से आँखें पोंछकर बोले- ''तुम अपना काम करो नत्थू, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हँसता है कभी रोता है।''

नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोले- ''अब जो कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि माताजी अपने मोहवश चार दिन के लिए आई हैं, शीघ्र ही चली जाएँगी।''

''काहे महाराज, रहैं ना। दो ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाईं लोग तो घिरस्ताम्रमी होते ही हैं।''

''मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया सो किया।'' उनके चेहरे पर हठ-भरी अहंता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएँ।

रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती हैं।

एक बार तुलसी का जी हुआ कि मना कर दें फिर कहते-कहते थम गए और कहा- ''भेज दो। कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो।''

रत्नावली आईं; अपने और पतिदेव के बीच में टँगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका खड़ी हो गईं; पल-भर बाद हल्के से खखारा, धीमे स्वर में कहा- ''जै सियाराम।''

''जय सियाराम। बाहर आसन बिछा होगा, बिराजो।''......

''पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति-प्रदायक ग्रन्थ पाया।''

तुलसी को सुनकर संतोष हुआ। बोले- ''आदिकवि के परम पावन ग्रन्थ से उसकी तुलना न करो, देवी। वैसे यह जानकर मैं सन्तुष्ट हुआ कि तुमने यह ग्रन्थ पढ़ लिया।''

''रामचरितमानस की एक प्रति... ।''

''शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियाँ कराने की व्यवस्था कर रहे हैं।''....

रत्नावली की आँखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोसाईं ने पूछा– ''गईं?''

रुदन कंपित स्वर में रत्ना बोली- ''जा रही हूँ।''

''रो रही हो रत्ना?''

''संतोष के आँसू हैं।''

''अब न बहाओ, देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बँट जायगा। सेवक का धर्म कठिन होता है।'' कहकर गोसाईं जी ने एक गहरी ठंडी साँस ढील दी।

''जाती हूँ। एक भिक्षा और माँग लूँ?''

''माँगो।''

''मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें।''

''वचन देता हूँ, आऊँगा।''

****

शब्दार्थ -

संभ्रान्त	–	सभ्य व्यक्ति	प्रतीति	–	ज्ञान
पाकशास्त्री	–	खाना बनाने में प्रवीण	सान्निध्य	–	निकटता
लालता	–	ललचाता	मुहाना	–	मुख
कलिकाल	–	कलियुग	तिरोहित	–	विलुप्त
मृदुल	–	कोमल	ऊहापोह	–	असमंजस
किस्वत	–	नाई की पेटी	भृत्य	–	नौकर
गिरहस्त	–	गृहस्थ	अहंता	–	अहंकार

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1. 'विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता।' – यह कथन है–

(क) रत्नावली का (ख) तुलसीदास का

(ग) राजा भगत का (घ) टोडरमल का ( )

2. 'अब इस जन्म में हमारा-तुम्हारा साथ नहीं हो सकता' तुलसीदास के इस कथन में व्यंजित भाव है–

(क) वेदना (ख) पश्चात्ताप

(ग) वैराग्य (घ) तिरस्कार ( )

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न -

1. राजा भगत अपने साथ किसको लेकर आए?
2. 'इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी।' - पंक्ति में 'जोगिन' शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
3. रत्नावली ने तुलसीदास से किस रचना की प्रति माँगी?
4. विदाई के समय भिक्षा के रूप में रत्नावली ने क्या विनती की?

लघूत्तरात्मक प्रश्न -

1. ''केशव, यह दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएँ, वे मुझमें कदापि नहीं हो सकती।''- तुलसीदास के इस कथन में व्यक्त पीड़ा का उल्लेख कीजिए।
2. राजा भगत का तुलसीदास से मिलने का क्या उद्‌देश्य था? वे कहाँ तक सफल रहे?
3. ''रामजी कदाचित् मुझे इसीलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ।'' पंक्ति में निहित तुलसीदास के अन्तर्द्वन्द्व को स्पष्ट कीजिए।
4. तुलसीदास ने रत्नावली को काशी में रहने की अनुमति क्यों नहीं दी?

निबंधात्मक प्रश्न -

1. 'सेवक का धर्म कठिन होता है।' कथन के आधार पर तुलसीदास के व्यक्तित्व व तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य का चित्रण कीजिए।
2. 'रत्नावली का चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतिबिम्ब है।'' – पाठ में आए घटनाक्रम के आधार पर स्पष्ट कीजिए।

****

यात्रावृत्त

कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण

- सेठ गोविन्ददास

लेखक-परिचय

सेठ गोविन्ददास (1896 ई-1974 ई.) भारत के स्वतन्त्रता सेनानी तथा हिन्दी के साहित्यकार थे। उन्हें शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में सन् 1961 में 'पद्मभूषण' से सम्मानित किया गया। वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रबल समर्थन किया। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य साधक, कला-मर्मज्ञ, आदर्श राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार एवं एकांकीकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ इस प्रकार हैं—

नाटक - 'प्रकाश', 'कर्तव्य' एवं 'नवरस'।

एकांकी - 'सप्तरश्मि', 'एकादशी', 'पंचभूत' तथा 'चतुष्पथ'

उपन्यास - 'चंपावती', 'कृष्णलता', 'सोमलता' आदि।

पाठ-परिचय

प्रस्तुत यात्रावृत्त में चित्तौडगढ़ की वीर भूमि, मोक्षप्रदायिनी अवन्तिका (उज्जैन) नगरी के साथ अजन्ता, एलोरा व एलीफेण्टा गुफाओं की यात्रा का वर्णन है। इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्त्व को अत्यन्त रोचक ढंग से उभारा गया है। संपूर्ण यात्रा-वृतान्त में रोचकता, प्रवाहमयता व तथ्यपरकता दर्शनीय है। भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व प्रेरणास्पद है।

* * * *

..... चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप हम एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे और भोजन इत्यादि से निवृत्त हो कोई एक बजे दिन को ही ताँगों पर गढ़ की ओर रवाना हुए। उस समय वहाँ मोटरें इत्यादि नहीं मिलती थीं।

चित्तौडगढ़ को जाते-जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो उठा। टॉड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था और पढ़े थे हिन्दी में दो उपन्यास। एक का नाम था ''राजपूत जीवन संध्या'' जिसमें हल्दीघाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था और दूसरा ''वीर जयमल''। यहीं महाराणा साँगा और महाराणा प्रताप, वीर जयमल और उन्हीं के सदृश अगणित सरदारों तथा सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम-संसार के किसी देश में कभी भी लड़े, क्या सुने तक नहीं गए। केसरिया बाना पहन-पहन कर यहीं वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हँसते-हँसते अपना बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया था। साध्वी वीर माताओं, वीर भगिनियों, वीर पत्नियों, वीर पुत्रियों की संख्या दो, चार, दस, सौ, दो सौ, चार सौ न होकर हजारों थीं हजारों। यहीं भामाशाह के सदृश त्यागी वैश्य भी हुए थे जो मेवाड़ के महावीर थे, साथ ही महान् हुतात्मा

सूर्यवंशी सिसोदिया क्षत्रिय नर-नारियों ने जहाँ संसार के इतिहास की अभूतपूर्व तथा अद्वितीय शौर्य और जौहर की अमर गाथाएँ गढ़ीं थीं वहीं आज हम जा रहे थे।

चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर है। जैसे-जैसे ताँगा इस पहाड़ी पर चढ़ता जाता था, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती थी। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे। गढ़ की दीवारें और उनके बुर्ज खंडित हो गये हैं। करीब-करीब सारी इमारतें जमींदोज। उन खण्डहरों के बीच खड़े हैं दो स्तम्भ ''कीर्ति-स्तम्भ'' और ''विजय-स्तम्भ''। कीर्ति-स्तम्भ पुराना और जर्जर है परन्तु विजय-स्तम्भ उसके बाद का साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। इस सात खण्डों वाले विजय-स्तम्भ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ। कला और सौन्दर्य की दृष्टि से भी यह विजय-स्तम्भ अपूर्व है, फिर उसी महान् वीरता का इतिहास इस विजय-स्तम्भ के साथ है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है तथापि मुझे तो इसका एक-एक पत्थर, इसकी धूलि का एक-एक कण, भिन्न-भिन्न प्रकार से भिन्न-भिन्न ध्वनियों में भिन्न-भिन्न रागों द्वारा वीर-गाथाएँ गाते जान पड़े। इन पत्थरों पर मुझे उस काल की पढ़ी और सुनी हुई एक-एक घटना नृत्य करती-सी जान पड़ी। यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीजों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख चुके, परन्तु मैं तो संध्या पूर्व उस स्थल को छोड़ ही न सका। इधर से उधर और उधर से इधर न जाने कितने बार आवारा-सा, भूला-सा, घूमता-फिरता रहा। एक-एक जगह को न जाने कितनी बार देखा। मेरी ऐसी दशा अब तक की यात्रा में कभी न हुई थी और न इसके बाद ही हुई। मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य भी हुआ, कुछ लोग हँसे भी, कुछ ने कुछ मजाक भी उड़ाया, परन्तु मैं तो अपने आप में नहीं था। जब अँधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर वहाँ से चलने को कहा। चलने के पूर्व इस स्थान की धूलि लेकर बार-बार मैंने अपने मस्तक पर लगायी और जिस प्रकार बड़े-बड़े उत्सवों पर मैं मन्दिर में भगवान् को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पवित्रतम विजय स्तम्भ को किया। प्रणाम के उपरान्त मैंने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्ण कृतियों का यह विजय-स्तम्भ प्रतीक है, उनकी कृतियों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट-सहिष्णुता थी मुझे भी उसका परमाणु अंश बराबर तो प्राप्त हो। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसरों पर मुझे यह विजय-स्तम्भ याद आया है और इस स्मरण ने मुझे नव साहस और नवीन स्फूर्ति प्रदान की है।

चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पहले हमने वह स्थान भी देखा जहाँ वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गद्‌गद् हो गया।

रात्रि को रवाना होने के पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना था कुछ वृक्षों की झुरमुट में और यह था मेरा प्रिय भोजन दाल-बाटी-चूरमा, पर लाख प्रयत्न करने पर भी आज ये कौर मेरे गले न उतरते थे।

चित्तौड़ से हम उज्जैन आये, सप्त मोक्षदायिका पुरियों में एक पुरी अवन्तिका। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समयों की यह एक राजधानी थी, परन्तु महाकालेश्वर के एक नवीन मन्दिर के सिवा यहाँ हमें क्षिप्रा के अतिरिक्त विक्रमादित्य या भोज के काल की कोई वस्तु न मिली। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थाटन न होकर ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण था। हम अपना असबाब स्टेशन पर ही छोड़ गये थे।

अतः क्षिप्रा के जल का आचमन और महाकालेश्वर के दर्शन कर हमने कुछ घण्टों में जलगांव के

लिए उज्जैन छोड़ दिया।

जलगांव हम आये थे अजन्ता और एलोरा गुफाएँ देखने। हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के एक सुधारक कार्यकर्ता श्री रूपचन्द जी लाठी ने की थी। उन्होंने हमारे अजन्ता और एलोरा जाने के लिए किराये की एक लारी मोटर का भी प्रबंध किया था।

जलगांव से लारी पर हम सीधे अजन्ता गए। अजन्ता की गुफाएँ सुन्दर और हरे-भरे पार्वत्य प्रदेश में हैं। इन गुफाओं की संख्या 29 है। इनमें 4 ''चैत्य'' के ढंग की और शेष ''विहार'' ढंग की हैं। ये गुफाएँ एक साथ नहीं बनायी गयीं। यद्यपि इनके बनने का निश्चित समय ज्ञात नहीं, परन्तु पुरातत्त्वेत्ताओं के मत से ईसा के सौ वर्ष पूर्व से सात सौ वर्ष बाद तक ये बनती रहीं, कोई कभी और कोई कभी। गुफाएँ इनकी अदभुत चित्रकारी के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध हो गयी हैं।

ये गुफाएँ एक अर्धगोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग की चट्टानों को काट कर बनायी गयी हैं। कैसी अदभुत बात है कि एक ही शिलाखंड को काटकर उसके अन्दर कमरे और उनमें मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। कमरों की दीवारों पर पलस्तर चढ़ाकर तथा सफेदी करके उस पर सुन्दर चित्र बनाये गये हैं। पलस्तर इतना मजबूत और सुन्दर है कि कई शताब्दियों के पश्चात् आज भी हम उसे ज्यों का त्यों पाते हैं।

बोधिसत्त्व पद्म-पाणि अर्थात् कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र है। सिर पर मुकुट धारण किए हुए सिद्धार्थ खड़े हैं। बायें हाथ में एक सूत का धागा बँधा है और दाहिने हाथ में कमल पुष्प है। शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत और गले में मणिमाला है। पतली लम्बी भवों के नीचे अधखुले विशाल नेत्रों से अहिंसा, शान्ति तथा वैराग्य टपकता है। उनकी मुखाकृति गम्भीर और देवीज्योति से आलोकित है। कैसा मनोहर रूप, कैसे ढले हुए-से सारे अंग-प्रत्यंग और अवयव। कैसी चित्रकारी। घण्टों चित्र की ओर देखते रहिए, आँखें और मन तृप्त न होंगे। कहा जाता है इससे सुन्दर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ। इस चित्र के विषय में देवी निवेदिता लिखती हैं- ''यह चित्र सम्भवतः भगवान् बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असम्भव-सा ही है।''

गुफा का एक और महत्त्वपूर्ण चित्र एक राजकीय जुलूस का है, जिसमें बहुत से आदमी सजधजकर जाते दिखाये गए हैं। किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में बजाने का शृंगी बाजा है। जुलूस में स्त्री-पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। चित्र अलंकार–प्रधान है। स्त्रियों के हाथों में सुन्दर कंकण हैं तथा वे गले में हार पहने हैं। कान से लगे सुन्दर कर्णावतंस भी लटक रहे हैं। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है। उनके उभरे हुए वक्षःस्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएँ कटाक्षपूर्ण हैं। कनखियों से देखती हुई यौवन-मद और अनुराग-लिप्सा से परिपूर्ण वे जीवन-तापहारी लतिकाओं-सी जान पड़ती हैं।

अजन्ता की चित्रकला में स्वाभाविकता है, जीवन है, सादगी है, साम्य है, औचित्य है और सौन्दर्य-भावना है। कुरुचि का अथवा वीभत्सता का लेशमात्र उनमें नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजन्ता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में चाहे वह धनाढ्य है, भूपति है अथवा निर्धन गृहस्थ है, चाहे पुरुष है अथवा स्त्रियाँ हैं, उन सब में जीवन के प्रति आनन्द-भावना है, उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखमयी लिप्सा है, जिसे सभी कलामर्मज्ञों ने स्वीकार किया है। यही कारण है कि अजन्ता के चित्र संसार भर में अद्वितीय

हैं। उनमें भारतीय जीवन की, उसके विराग-अनुराग की, उसकी आशाओं-निराशाओं की, उसकी क्षमताओं-व्यथाओं की झलक तो है ही उनमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित हुआ है। आनन्द-भावना ही भारतीय जीवन का साध्य और साधन रही है।

अजन्ता की 29 गुफाओं में से दो अगम्य हैं बाकी सभी देखी जा सकती हैं।

इनके विषय में एक बड़ी कठिनाई है काल-निर्णय की। समय-समय पर विविध राजाओं की सरंक्षकता में इन्हें बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि कुछ चित्र अत्यन्त प्राचीन और कुछ अर्वाचीन जान पड़ते हैं। अजन्ता का एक चित्र काल निर्णय में कुछ सहायक है। यह चित्र है फारस देश के राजदूत का जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्तकाल से लेकर चालुक्य वंश के शासन-काल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा।

अजन्ता से हम मोटर लारी में ही दौलताबाद गए और दौलताबाद से एलोरा।

एलोरा की गुफाएँ भी शिलाखंड में काटकर बनायी गयी हैं। शिलाखंड ही क्यों कहना चाहिए एक छोटे-मोटे पठार को काट इन गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएँ सवा मील तक चली गयी हैं, जिनके बनाने में न मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और न मालूम कितना समय लगा होगा।

इस गुफा-शृंखला के तीन मुख्य अंग है : बौद्ध गुफाएँ, हिन्दू गुफाएँ और जैन गुफाएँ। बौद्ध गुफाओं की संख्या बारह है और अनुमान है कि वही सबसे पहले की बनी हैं। उनकी खुदाई चौथी से आठवीं शताब्दी के बीच हुई। हिन्दू गुफाओं की संख्या सत्रह है। ये बीचों-बीच बनी हुई हैं और अनुमान है कि इनकी खुदाई सातवीं और आठवीं शताब्दी में हुई। अन्तिम गुफाएँ, जिनकी संख्या चार है, जैन गुफाएँ हैं, जिनकी खुदाई हिन्दू गुफाओं के बाद ही हुई होगी।

प्रारम्भिक बौद्ध गुफाएँ बिल्कुल सादी है। पर दसवीं गुफा, जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है। बारहवीं गुफा, जो तीन तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, एक तिमंजिली गुफा है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित हैं वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम बनी हैं।

विश्वकर्मा गुफा का भीतरी भाग सँकरा होता गया है और अन्त में 27 फुट लम्बा और साढ़े पन्द्रह फुट चौड़ा रह गया है। वहाँ पर आसीन ग्यारह फुट की ऊँची भगवान् बुद्ध की विशाल मूर्ति है।

तीन तल गुफा मनुष्य के सतत् प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है। कितने परिश्रम और कितनी लगन से पाषाण खंड काटकर यह तिमंजिली कला-कृति खड़ी की गयी होगी। अकेले अर्थ व्यय से सम्भवतः यह कार्य सम्पन्न होना कठिन था। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्य-निष्ठा और आस्था की झलक दिखायी दी, जिसके बिना मेरे विचार में कोई महान् कार्य पूरा करना सम्भव नहीं।

इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक रोचक बात बताना जरूरी है। स्थानीय निवासी उसे राम मानकर पूजते हैं। इस मूर्ति की नाक और ओंठ आदि नहीं है पर स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं । भक्ति का मुझे यह अनोखा रूप जान पड़ा और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण लें, किन्तु मुझे वे स्वल्पबुद्धि वाले; किन्तु श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान् के अधिक निकट जान पड़े जो किसी भी रूप में सर्वशक्तिमान को ही पूजते हैं।

हिन्दू गुफाओं में 16वीं गुफा जिसे कैलाश अथवा रंगमहल गुफा कहते हैं शिव की गुफा है, किन्तु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित हैं। इसमें ध्वज-स्तम्भ और हाथी की मूर्ति भी

दर्शनीय है। भारत में पाषाण खण्ड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है। यह गुफा 276 फुट लम्बी 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊँची है। इससे गुफा के भीमकाय आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। शिलाखण्ड में काटकर बनाया गया हिन्दुओं का इतना विशाल मन्दिर भारत में दूसरा नहीं है। इक्कीसवीं गुफा जो रामेश्वर गुफा कहलाती है और 29वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, कला और पच्चीकारी की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवम् उल्लेखनीय है।

एलोरा से फिर हम दौलताबाद लौटे और दौलताबाद से पुनः अजन्ता आकर एक बार फिर पद्म-पाणि भगवान् बुद्ध के चित्र के दर्शन कर जलगांव लौट आये। जलगांव में हमें एक दिन और ठहरना पड़ा क्योंकि श्री रूपचंद जी लाठी ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी थी।

जलगांव से हम बम्बई पहुँचे। हमारा उद्देश्य बम्बई देखना न था, बम्बई तो मैं कई बार हो ही आया था। यहाँ हम आये थे एलीफेण्टा गुफाएँ देखने।

एलीफेण्टा गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है, जिसका अपना इतिहास है। सन् 1814 में इस हाथी का सिर टूट कर गिर गया और बाद में उसका शेष अंग भी कई भागों में कट गया। सन् 1864 में इस मूर्ति के खण्डित अंगों को विक्टोरिया बाग बम्बई ले जाया गया, जहाँ इसको पुनः जोड़ा गया। कहा जाता है कि इस हाथी के अंग्रेजी पर्याय एलीफेण्ट के नाम पर ही पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलीफेण्टा गुफाओं की संज्ञा दी।

ये गुफाएँ एपालो बन्दर से कोई सात मील पश्चिमोत्तर में एक द्वीप पर स्थित हैं, जिसे स्थानीय निवासी और मल्लाह घरपुरी कहते हैं। इसका घेरा कुल मिलाकर साढ़े चार मील से अधिक नहीं। इसमें दो पहाड़ियाँ है, जिनके बीच एक मनोरम घाटी है। द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत कम है।

आकार की दृष्टि से यह द्वीप चाहे छोटा हो, पर इसका इतिहास बड़ा रोचक रहा है। मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का इस पर आधिपत्य था। सन् 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। सन् 1774 में अँग्रेजों ने इसे अपने शासन में लिया और सन् 1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इस द्वीप पर दावत दी गयी थी।

किन्तु इस द्वीप की महत्ता का आधार इसका इतिहास न होकर वहाँ की तक्षणकला और वहाँ की अद्भुत गुफाएँ हैं। इन गुफाओं का निश्चित रूप से काल निर्णय करना तो असम्भव-सा है, पर हाँ, इतना अवश्य ज्ञात है कि सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ये विद्यमान थीं।

एलीफेण्टा की गुफाएँ मुख्यतः शैव हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव का मन्दिर है जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ भगवान् शिव को सर्जनहार, पालनहार और प्रलयंकर तीनों रूपों में अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य है और एक शिला पर शिव को भावमग्न भी अंकित किया गया है। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सर्जनकारी नृत्य की अभिनव छवि है, जिसे ब्राह्मण कला में इतना उच्च स्थान प्राप्त है। शिव-पार्वती विवाह, गंगावतरण, अर्धनारीश्वर शिव, मानवती पार्वती आदि के अनेक छवि—दृश्य हमने मनोयोगपूर्वक देखे। इन प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध शिव की प्रतिमा है।

एलीफेण्टा से हम बम्बई लौटे। बम्बई से हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुम्बज देखने का और था। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परन्तु जबलपुर के कुछ ऐसे तार और पत्र मिले कि इस दौरे को अब मुझे

समाप्त कर जबलपुर लौटना पड़ा। इसके बाद गोल गुम्बज देखने का मुझे अब तक सौभाग्य प्राप्त न हो सका, यद्यपि मैं सारे संसार के अधिकांश भाग में चक्कर लगा आया हूँ। एक कहावत है ''अनी चूके बीसा सौ'' वही इस मामले में हुआ।

****

शब्दार्थ -

उद्वेग	–	आकुलता	सदृश	–	समान
अद्वितीय	–	जिसके समान दूसरा न हो	तुच्छ	–	हीन
बुर्ज	–	गुम्बद	यज्ञोपवीत	–	जनेऊ
जमींदोज	–	विनष्ट	पुरी	–	नगरी
लिप्सा	–	इच्छा	आलोकित	–	प्रकाशित
महाभिनिष्क्रमण	–	गृहत्याग	तक्षणकला	–	मूर्तिकला
असबाब	–	सामान	परिलक्षित	–	दिखाई देना
कर्णावतंस	–	कान के आभूषण	अवयव	–	अंग
तृप्त	–	सन्तुष्ट	अर्वाचीन	–	नवीन
पाषाण	–	पत्थर			

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1. निम्नांकित में से कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है?
   (क) बनारस (ख) जबलपुर
   (ग) उज्जैन (घ) चित्तौड़गढ़ ( )

2. एलीफेण्टा की गुफाओं के मध्य में किसकी मूर्ति का जिक्र होता है?
   (क) हाथी की (ख) भगवान विष्णु की
   (ग) पद्म-पाणि बुद्ध की (घ) माता दुर्गा की ( )

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न -

1. महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है?
2. विजय-स्तंभ किसका प्रतीक है?
3. अजंता की गुफाओं की संख्या बताइए।
4. बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र कहाँ अंकित किया गया है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न -

1. लेखक ने चित्तौड़गढ़ की धूलि को बार-बार मस्तक से क्यों लगाया?

2. एलीफेण्टा की गुफाओं में शिव को किस-किस रूप में अंकित किया गया है? स्पष्ट कीजिए।
3. अजंता की गुफाओं में 'राजकीय जुलूस' के चित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
4. 'बोधिसत्त्व पद्मपाणि' चित्र के बारे में देवी निवेदिता के विचार लिखिए।

निबंधात्मक प्रश्न -

1. अजंता की चित्रकला में भारतीय संस्कृति का आदर्श किस तरह प्रकट होता है? वर्णन कीजिए।
2. अजंता, एलोरा व एलीफेण्टा की गुफाओं के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
3. चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है? लिखिए।

* * * *

जीवन-चरित

राजस्थान के गौरव

- संकलित

पाठ-परिचय

प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के महान् जीवन-चरितों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को नई दिशा दी। देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्भेश्वर, पूज्य गोविन्द गुरु, महाराजा सूरजमल के जीवन-चरित सदा से प्रेरणा-स्रोत रहे हैं, इन्हें जन-मानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय हैं।

****

राजस्थान रणबाँकुरों की धरती है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता था, ऐसे एक-दो नहीं अनेक पराक्रमियों को इस वीर-प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है :—

केसरी नहं नीपजे अठै, नहं हीरा निपजंत।
सिर कटिया खग सांभणा, इण धरती उपजंत।।

इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है, और न हीरों की खानें हैं। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं, जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने जुँझारों के समान ही त्यागी-तपस्वी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीरगति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जो शस्त्र व शास्त्र दोनों में निष्णात थे। एक ओर तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग जिन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, लोक जागरण में तथा समाज में समता निर्माण करने में किया। परिणामस्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और उन मेलों में दूर-दूर से जातरू पैदल चलकर भी लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं तथा अपने कष्टों को दूर करने की मनौती माँगते हैं।

ऐसे सभी जातरूओं की सेवा में भण्डारों का आयोजन कर सामान्यजन भी पलक पाँवड़े बिछाये तैयार रहता है, उनके थके-माँदे, लहू-लुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गरमा-गरम चाय-अल्पाहार व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनिक और सामान्यजन अपने को धन्य मानते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, यह हमारा अहोभाग्य है कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारू को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिये बिना ही आगे बढना चाहते हैं तो उनको रोकने का आग्रह देखते ही बनता है, कोई

हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई सड़क पर लेटकर यह कहते भी सुनाई देता है कि आप को जाना है तो हमें रौंदकर ही जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर-दूर से पैदल चल कर आने वाले जातरूओं को उनके मार्ग में स्थान-स्थान पर दिखाई देते हैं। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है, जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। हम ऐसे ही नरपुंगवों के कर्तृत्व से अपना जीवन प्रकाशमय बनाए, समाज में समरसता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें।

देवनारायण जी

देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे और बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। इसलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानता है। आपने राज्य क्रान्ति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अन्त किया था। आपके जन्म-समय के सम्बन्ध में काफी मतभेद है, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों तथा तत्कालीन राज्य वंशों से सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म युगाब्द 4142 (वि.सं. 1097) की माघ शुक्ल सप्तमी (भानु सप्तमी) को हुआ माना जाता है। चौहान राज ने बगड़ावतों को 'गोठा' की जागीर दी थी, यह जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसीन्द से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी नदी के आस–पास का क्षेत्र माना जाता है।

राणा दुर्जनसाल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोढ़ी खटानी इन्हें अपने पीहर देवास ले आई। अब देवास में ही इनका लालन-पालन होने लगा। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और साथ ही साथ शिप्रा के किनारे (उज्जैन) सिद्ध-वट में वह साधना भी करने लगा। सिद्ध वट के योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र-विद्या भी सिखायी। देखते ही देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा के साथ-साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पण्डित हो गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था।

बगड़ावतों का अनन्य मित्र छोटू भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, वह इन्हें 'गोठा' ले चलने हेतु देवास आ गया। छोटूभाट, माता सोढ़ी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ ये देवास से चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदे को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला-चंगा कर दिया, वहीं पीपलदे से उनका विवाह हो गया। अपने आयुर्वेद ज्ञान तथा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात् भगवान् ही बन गए। नीनलदे की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी में पानी निकालना आदि इनके चमत्कार माने जाते हैं।

इनके गोठा पहुँचते ही सभी इनसे आ मिले। गोठा में अमन-चैन कायम कर जनता को ढाढ़स बँधाया, किन्तु उनके पूरे राज्य और पड़ौस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जनसाल के साथियों को एक-एक कर परास्त किया और राज्य क्रान्ति कर सुशासन स्थापित किया। दूसरी इनकी महत्त्वपूर्ण देन यह भी है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्त्व स्पष्ट किया, तुलसी की भाँति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया। इसी कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है।

बाबा रामदेव

राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोकरण जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है, इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत् 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रूणीचा के तँवरवंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मैणादे के घर रामदेव अवतरित हुए। शैशवावस्था में ही मारवाड़ी कहावत- 'पूत रा पग पाळणे दीखे' को चरितार्थ करते हुए उफनते दूध को नीचे रख माँ मैणादे को चमत्कार दिखाया। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना प्रारम्भ किया। इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ-साथ अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ही पोकरण के पास के कस्बे 'साथलमेर' में भैरव तांत्रिक को मार कर सम्पूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया।

अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान कर लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होने पर भी उन्होंने दलितों से सम्पर्क बढ़ाया तथा 'जम्मा-जागरण' आन्दोलन के माध्यम से उन्हें जाग्रत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा-जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था, शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था। समाज के पिछड़े बन्धुओं के प्रति रामदेव जी का अन्तःकरण करुणा व परोपकार से ओत-प्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डाली बाई को अपनी धर्मबहन बनाया तथा पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर उनकी सेवा-चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े।

रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे, इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चामत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी, इसी कारण वे पीड़ितों को रोगमुक्त कर चमत्कार दिखा सके। उनके चमत्कार 'परचों' के रूप में विख्यात हैं। लखी बनजारे की मिश्री को नमक बनाना, पाँच पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नेतलदे की पंगुता को दूर करना, सारथिये को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना उनके प्रमुख परचे हैं।

मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, ऐसा मान उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। भादवा सुदी दशमी वि.सं. 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों जातरू दर्शनार्थ आते हैं, और उनके गीत गाते हैं-

''घणी घणी खम्मा हो, अजमाल जी रे लाल ने।''

सन्त जम्भेश्वर

प्रकृति-प्रदत्त समाज-जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। इसी आत्मा के तत्त्वान्वेषी और सशक्त उद्घोषक थे- सन्त जम्भेश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे सन्त जम्भेश्वर-जाम्भोजी के नाम से भी भक्तों में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गाँव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे चिन्तनशील प्रवृत्ति के थे। 34 वर्ष की आयु में माता-पिता का देहान्त हो जाने के पश्चात् आपने सारी सम्पत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गये। उन्हें लोग जाम्भोजी कहा करते थे।

आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के 'समराथल धोरा' आए और अपना 'मुकाम' बनाया। इसी स्थान पर उन्हें दिव्य-ज्ञान भी प्राप्त हुआ तथा ईस्वी 1485 की कार्तिक अष्टमी को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीवन हेतु

29 नियम बनाये, इन्हें मानने वाले बिश्नोई (बीस़नौ अर्थात् बिश्नोई) कहलाये। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति संरक्षण पर ही आधारित हैं। आपने कट्टरता पर भी निरन्तर प्रहार किये, दुष्टों का निग्रह अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से किया। आपने सुल्तान सिकन्दर लोदी को भी गो-हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था।

समाज को सन्त जम्भेश्वर जी के नेतृत्व से एक नई संजीवनी मिली। कई विधर्मी भी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बने। सरल व सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने। अपने विराट् व्यक्तित्व के कारण वे सहज ही लोकमन के देव बन गये। बीकानेर जिले के लालसर गाँव में समाधि लेकर उन्होंने अपनी जीवनलीला पूर्ण की।

जम्भेश्वर जी तो चले गये; किन्तु उनके अनुयायियों ने उनके बताये मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर किया। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया वह बलिदान अत्यन्त प्रेरक एवं अद्वितीय है। जोधपुर जिले का एक गाँव खेजड़ली आज भी इस बलिदान का साक्षी है। बात सन् 1730 की है। जोधपुर महाराजा ने अपने सैनिकों को राज्यकार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने को कहा। सैनिकों ने 'खेजड़ली' गाँव को उपयुक्त समझा, क्योंकि इस गाँव के प्रत्येक खेत में बहुतायत में खेजड़ी (शमी) के वृक्ष थे। राजा के सैनिक इस गाँव में आ धमके। गाँव की ही एक माता इमरता देवी को जब इसका पता लगा तो वे दौड़ कर खेत में पहुँची और खेजड़ी न काटने हेतु समझाने लगी। इतने में गाँव के लोगों को भी पता लगा और वे भी वहाँ आ गये। राजा के सैनिक तो सत्ता मद में चूर थे ही मना करने पर भी पेड़ काटने लगे तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी तुम ये वृक्ष नहीं काट सकते और गाँव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा- ''सर साँटे रूँख रहे तो भी सस्तो जाण'' सभी स्त्री-पुरुष एक-एक पेड़ के आगे खड़े हो गये। परम वीरांगना इमरता देवी उनकी तीनों पुत्रियाँ असी, रतनी व भागू बाई तथा पति रामोजी ने अपना बलिदान दिया। फिर तो गाँव वाले भी पीछे नहीं रहे, एक के बाद एक वृक्ष की रक्षार्थ कटते गये। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली ग्राम में हुआ। वे सभी बलिदान करने वाले जम्भेश्वर जी के ही अनुयायी थे। आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भरता है। हजारों लोग आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि बिश्नोइयों के गाँव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते, हिरण नहीं मारे जाते।

पूज्य गोविन्द गुरु

राजस्थान के धुर दक्षिण में, गुजरात और मध्यप्रदेश की सीमाएँ जहाँ स्पर्श करती हैं, वहाँ एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है- ''मानगढ़ का विशाल पहाड़''। लगभग एक शताब्दी पूर्व इस सघन वनांचल में वनवासी बन्धुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आन्दोलन का संचालन किया था। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी। परिणामस्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवम्बर, 1913 ई. को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट् सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन-बन्धुओं पर अंधाधुन्ध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियाँवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले हुआ यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों व कथाओं में रचा बसा है। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है। ऐसे विराट् स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे -

पूज्य गोविन्द गुरु।

डूँगरपुर जिले के 'बासियाँ' गाँव में 20 दिसम्बर, 1858 ई. को एक बनजारा परिवार में जन्में गोविन्द को बचपन में संस्कार मिले गाँव के शिव मन्दिर के पुजारी से। परिवार की घुमन्तू जीवनशैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया और निर्णायक मोड़ आया, 1880 में स्वामी दयानन्द सरस्वती के साथ तीन महीने तक उदयपुर में रहने से। लाखों वनवासी बन्धु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों तथा अन्धविश्वासों के साथ-साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया गोविन्द ने। 'सम्पसभा' नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारम्भ हुआ गाँव में हवन कुंडों (धूणी) की स्थापना का कार्य। गोविन्द ने स्वच्छता, भजन-सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्य-माँस सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार तथा स्वधर्म में दृढ़ रहने आदि के भाव स्थापित किए। समाज सुधार की बात गाँव-गाँव में चली तो गोविन्द हो गया अब 'गोविन्द गुरु'। लाखों अनुयायी बनने लगे, कण्ठी (रुद्राक्ष) धारण करने लगे और समवेत स्वर में लाखों कण्ठों से गुँजायमान होने लगा, यह गीत–भूरोटिया! नी मानू रे नी मानू..... (अंग्रेज! मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा।)

सन् 1903 से प्रतिवर्ष 'मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर' सम्प सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा, इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामन्त-जागीरदार तो पहले से ही नाराज थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू किए जिसका परिणाम हुआ सन् 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। कर्नल 'शटल' के एक आदेश से भक्तों पर गोलियाँ बरसाई जाने लगीं, लगभग आधा घंटा यह वीभत्स तांडव चलता रहा और जब तक बन्दूकें थमीं तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र-पुत्रियाँ अपने प्राणों की आहुतियाँ दे चुके थे। गुरु के पाँव में भी गोली लगी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

गोविन्द गुरु को अदालत ने फाँसी की सजा सुनाई, बाद में उसे काला पानी में और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया। अहमदाबाद की सेण्ट्रल जेल में उन्हें रखा गया। विश्वयुद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के आधार पर इन्हें भी सशर्त मुक्त किया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात में पंचमहाल में कम्बोई नामक स्थान पर जीवन का अन्तिम समय बीता। 30 अक्टूबर, 1931 ई. को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं, धूणी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की माटी को मस्तक से लगाते हैं।

महाराजा सूरजमल

हमारे देश से यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदनसिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी, सन् 1707 ई. (माघ शुक्ल पक्ष दशमी संवत् 1763 विक्रमी) में अपने ननिहाल कामर में हुआ था। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित थे। युवावस्था तक आते आते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे निष्णात हो गए। राजा बदनसिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े पुत्र थे, गुणों में भी श्रेष्ठ थे, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया।

सन् 1731 में इन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी। नवम्बर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के

नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन् 1750 में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी सलावत खाँ ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अन्धेरे में सलावत खाँ की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। सन्धि में जो शर्तें तय हुई वे युवराज सूरजमल की राष्ट्रभावना का परिचायक है। इनमें दो शर्तें इस प्रकार हैं–

1. मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी तथा
2. मन्दिरों का अपमान नहीं किया जायेगा, न ही किसी देवालय को क्षति पहुँचाई जायेगी।

राज बदनसिंह के निधन के बाद 9 जून, 1756 ई. को सूरजमल विधिवत् भरतपुर राज्य के राजा बने। इसके 6 माह बाद ही अहमदशाह अब्दाली भारत में घुस आया। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली फतह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई। इसी समय भरतपुर नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोडने की कोशिश की तथा उसे चुनौती भी दी। पत्र पढने के बाद उसे डीग, कुम्हेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढने की हिम्मत ही नहीं हुई। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखा एक और वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ था। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा जब महाराजा सूरजमल पर आया तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चम्बल तक के क्षेत्र पर विजय-पताका फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उनके अधिकार में आ चुका था। अलीगढ़, हापुड़ तथा गढ़ मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध व यमुना जल से धुलवाया। उसके बाद शास्त्रोक्त विधि से हवन कर आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया।

पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने तीन तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी। रुहेले भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय महाराजा हिण्डन नदी के एक नाले को पार करने आगे बढ़े तभी वहाँ छिपे बैठे रुहेले बन्दूकचियों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक सम्भलते तब तक महाराजा सूरजमल के प्राणघातक चोट लग चुकी थी। रविवार 25 दिसम्बर, 1763 ई. के दिन सायंकाल लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया।

****

शब्दार्थ -

पराक्रमी	–	वीर	वीर-प्रसूता	– वीरों को जन्म देने वाली
जातरू	–	यात्री	नरपुंगव	– नरश्रेष्ठ
सर्वदा	–	हमेशा	निष्णात	– पारंगत

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1. 'सम्पसभा' की स्थापना किसने की?
   (क) महाराजा सूरजमल ने (ख) संत जम्भेश्वर ने
   (ग) पूज्य गोविन्द गुरु ने (घ) बाबा रामदेव ने ( )
2. बाबा रामदेव की समाधि पर मेला लगता है—
   (क) भादवा सुदी दशमी (ख) भादवा बुदी पंचमी
   (ग) भादवा बुदी दशमी (घ) भादवा सुदी पंचमी ( )

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न -

1. देवनारायण को किसका अवतार माना जाता है?
2. 'सर सांटे रूँख रहे तो भी सस्ता जाण' - पंक्ति का अर्थ बताइए।
3. सूरजमल कहाँ के राजा थे?
4. संत जम्भेश्वर को दिव्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न -

1. 'जम्मा-जागरण' आन्दोलन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए।
2. जलियाँवाला बाग हत्याकांड की तुलना राजस्थान की किस घटना से की जाती है? संक्षेप में घटना का वर्णन कीजिए।
3. सूरजमल की राष्ट्रीय भावना से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए।
4. 'खेजड़ली' गाँव की इमरता देवी का बलिदान किस कारण हुआ? लिखिए।

निबंधात्मक प्रश्न -

1. मानगढ़ का विशाल पहाड़ किस दिव्य-बलिदान का साक्षी है? विस्तार से लिखिए।
2. समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से संत जंभेश्वर के योगदान का वर्णन कीजिए।

****

महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवम् शास्तियाँ

भारतीय सभ्यता में महिलाओं का विशिष्ट स्थान प्रारम्भ से ही रहा हैं। भारतवर्ष में तो यह सूक्ति रूप में कहा जाता है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।

परन्तु वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में यदि स्थितियों का तटस्थ आकलन किया जाए, तो स्पष्टतः प्रतीत होता है कि स्थितियां समाज के 'महिला' नामक घटक के पूर्णतः विपरीत हैं।

भारतीय समाज के पुरूष प्रधान होने के कारण महिलाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे समाज उन्नत के स्थान पर पतनोन्मुख हो रहा है। स्त्रियों के संदर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते हैं, एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरूष के समान सम्मान एवम् अवसर दिलाने के पक्ष में है और दूसरा दृष्टिकोण स्त्री को पुरूष से निम्नतर मानता है। अत्यंत चिन्ता का विषय है कि भारतीय समाज में नारी को उत्पीड़ित किया जा रहा हैं।

अपराध का अर्थ एवं परिभाषा –

'अपराध' कानूनी नियमों या कानूनों के उल्लंघन करने की नकारात्मक प्रक्रिया हैं, जिससे समाज के तत्वों का विनाश होता है और जब यह उल्लंघन बालिका/महिला को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है तो यह 'महिलाओं के विरूद्ध अपराध' की श्रेणी में आता है।

भारतीय संविधान को विश्व का सर्वोत्तम संविधान कहा जाता है। इस संविधान की अनेक विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है– समाज में महिलाओं को सुरक्षित एवम् सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के साथ–साथ पुरुषों के समान अधिकार भी प्रदान करना। महिलाओं के प्रति होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा एवम् प्रताड़ना को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं/बालिकाओं को समाज में संरक्षण, सशक्तीकरण, सम्मान एवम् समानता प्रदान करने हेतु विभिन्न सार्थक प्रयास संवैधानिक स्तर पर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने किए है। यथा– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार (Equality before law) कानून की दृष्टि में महिला एवं पुरूष दोनों बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में महिलाओं को भेदभाव के विरूद्ध न्याय प्राप्ति का अधिकार दिया गया है।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की प्रकृति –

एक बालिका को गर्भ में आने के बाद से जीवन–पर्यन्त अनेक पारिवारिक, सामाजिक भेदभावों से उत्पीड़ित होना पड़ता है। यह उत्पीड़न जब बढ़ जाता है, तो अपराध का रूप ले लेता हैं।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध के तीन रूप माने जा सकते हैं–

(1) पारिवारिक हिंसा (2) सामाजिक हिंसा (3) आपराधिक हिंसा

(1) पारिवारिक हिंसा – बालिका/महिला के साथ परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदार के द्वारा हिंसा करना, 'पारिवारिक हिंसा' के अन्तर्गत आता है। उदाहरण के लिए–

(1) दहेज के लिए होने वाली हत्याएं

(2) पत्नी के साथ मारपीट करना

(3) किसी विधवा के साथ परिवार के सदस्यों द्वारा अनैतिक या अनुचित व्यवहार करना।

(4) कन्या–भ्रूण हत्या करना।

(2) सामाजिक हिंसा – बालिका/महिला के साथ समाज के द्वारा किया गया अनैतिक कृत्य 'सामाजिक हिंसा' के अन्तर्गत आता है। उदाहरण के लिए–

(1) वेश्यावृति

(2) अश्लील साहित्य मुद्रण एवं पढ़ने हेतु बाध्य करना

(3) अश्लील विज्ञापन बनाना एवं दिखाना

(4) अश्लील चलचित्र निर्माण करना व देखने हेतु बाध्य करना।

(3) आपराधिक हिंसा – जब घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा अपना विकराल रूप ले लेती है तो वह अपराध में परिवर्तित हो जाती है, यथा

(1) बलात्कार

(2) हत्या

(3) अपहरण आदि।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध के कारण –

हमारे समाज में महिलाओं के विरूद्ध अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण इस प्रकार हैं –

(1) सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन– पूर्व में भारतीय समाज का पारिवारिक एवम् व्यक्तिगत जीवन पर नियंत्रण होता था। समाज द्वारा दण्ड का विधान होता था, जैसे– समाज से बाहर कर देना या हुक्का–पानी बंद कर देना। इन दण्डों के नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते थे, परन्तु जाने–अनजाने ही सही, लोगों में समाज का भय व्याप्त था, जो अब समाप्त हो गया हैं। लोग स्वच्छन्द प्रवृत्ति के हो गए हैं, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।

(2) आदर्शों एवं मूल्यों में परिवर्तन– हमारी प्राचीन संस्कृति में 'पराई स्त्री को माता के समान' और 'पराए धन को मिट्टी के समान' समझा जाता था। 'त्यागमय भोग' की प्रवृत्ति रखने वाले भारतीय 'सादा जीवन उच्च विचार' में विश्वास रखते थे, परन्तु बदलते समय में भारतीयों के आदर्शों एवम् मूल्यों में गिरावट आई हैं, जिससे आपराधिक मानसिकता का विकास होता जा रहा है।

(3) औद्योगिकीकरण एवम् नगरीकरण का बढ़ता प्रभाव– समाज के विकास में औद्योगिकीकरण व नगरीकरण का बहुत बढ़ा हाथ होता है, परन्तु यही औद्योगिकीकरण व नगरीकरण आपराधिक मानसिकता को भी बढ़ावा देता हैं। औद्योगिकीकरण के कारण लोगों में शहर की ओर पलायन की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसके कारण संयुक्त परिवार टूट गए और एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं। एकाकी परिवार होने के कारण महिलाएँ/बालिकाएँ असुरक्षित हो गई हैं।

(4) सामाजिक रूढ़ियाँ – महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को बढ़ावा देने में सामाजिक रूढ़ियों का विशेष हाथ रहा है। वंश–वृद्धि हेतु पुत्र की अनिवार्यता, दहेज–प्रथा, डायन–प्रथा, बाल–विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि ऐसी रूढ़ियां हैं, जो महिलाओं के साथ हिंसा या हत्या जैसे अपराधों को बढ़ावा देती हैं।

(5) अश्लील सामग्री सहज उपलब्ध होना – वर्तमान समय में टीवी, इंटरनेट व पत्रिकाओं में उपलब्ध अश्लील सामग्री, ऑडियो एवं वीडियो पर भी विज्ञापन बहुत ही सहज उपलब्ध हो जाते हैं। एकाकी परिवार में रहने वाले बच्चों पर इन अश्लील सामग्री का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इंटरनेट पर अश्लील उपलब्ध सामग्री तक आसान पहुँच सामाजिक रिश्तों को लज्जित कर रही है। निर्भया के अपराधी हो या हैदराबाद के दरिंदे, उन्होंने वारदात से पहले इंटरनेट पर अश्लील सामग्री के वीडियो देखे थे। एक सर्वे के अनुसार इंदौर के बाल सुधार गृह में दो नाबालिगों ने स्वीकारा है कि दुष्कर्म से पहले उन्होंने इंटरनेट पर उपलब्ध अश्लील सामग्री देखी थी। प्रतिदिन दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें दुष्कर्म करने वाले अश्लील वीडियो देखने के आदी है।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को बढ़ाने में और भी अनेक कारण हैं, जो हमें अपने आस–पास रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देते है।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध के प्रकार एवं शास्तियाँ (दण्ड संहिता 1860 के अनुसार)–

राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में लगभग 100 महिलाओं का बलात्कार प्रतिदिन होता है। महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न अपराधों के प्रकार हैं–

(1) अपहरण– भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार कोई भी नाबालिग (पुरूष–16 वर्ष व महिला 15 वर्ष) को अभिभावक की अनुमति के बिना उसे किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता।

शास्ति– अगर कोई ऐसा अपराध करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में संज्ञेय मानते हुए 7 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना से दंडित करने का प्रावधान है।

यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अयुक्त शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला का अपहरण करता है या अपहरण के लिए प्रेरित करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अनुसार उपरोक्त स्थिति में 10 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।

(2) चेन स्नेचिंग– महिलाओं के खिलाफ यह अपराध चेन स्नेचिंग और अन्य कीमती सामान की चोरी तक सीमित है। वृद्ध महिलाओं के साथ ऐसे अपराध अधिक होते है।

शास्ति– यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय है। जिसमें 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों सम्मिलित है।

(3) छेड़खानी– वर्तमान में देखा गया है कि युवाओं में यौन आक्रामकता ने ऐसा रूप धारण कर लिया है जो महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक मानसिकता को निरंतर बढ़ाता जा रहा है। इस अपराध के अन्तर्गत अश्लील टिप्पणी करना, किसी महिला को जबरदस्ती छूना, अश्लील संकेत करना आदि आते हैं।

शास्ति– भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अनुसार यदि कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने का इरादा रखता है और अश्लील शब्दों का उपयोग करता है या अश्लील आवाजें एवं इशारे करता है

उसे तीन साल की जेल व जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

(4) घरेलू हिंसा– परिवार में किसी सदस्य अथवा सदस्यों का किसी महिला सदस्य के साथ मारपीट करना, जबरन बलात्कार या यौन संबंध बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देना, साथ ही किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है जो भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दंडनीय है।

शास्ति– भारतीय दंड संहिता की धारा 498 व 498 ए में एक वर्ष से 3 वर्ष तक की जेल व आर्थिक दण्ड अथवा दोनों एवं घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 में भी दण्डनीय प्रावधान है।

यदि किसी महिला को घरेलू हिंसा से संरक्षण की आवश्यकता है, तो निम्नानुसार विकल्पों के माध्यम से शिकायत कर संरक्षण प्राप्त कर सकती है–

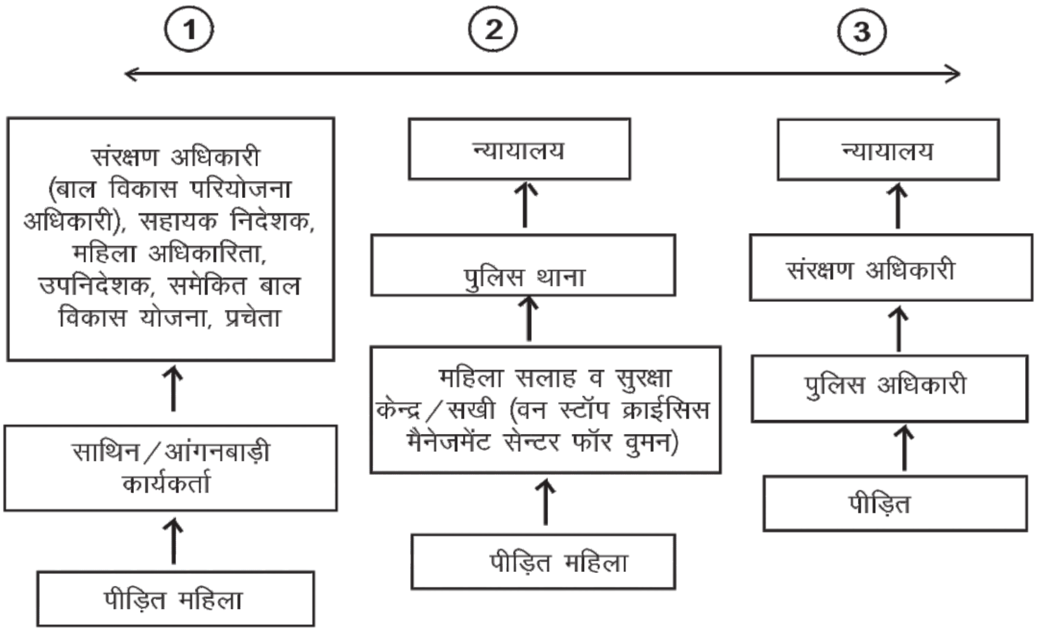

(5) ऑनर किलिंग– प्रेमी युगल की जातिगत मिथ्याभिमान के कारण परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या करना ऑनर किलिंग कहलाती है। यह घृणित कृत्य संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

शास्ति– भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा निर्धारित है।

(6) एसिड अटैक– किसी पुरूष द्वारा किसी महिला को अनैतिक कार्य में जबरन लिप्त करने के प्रयास में जब सफलता नहीं मिलती या महिला दृढ़ता के साथ नकारात्मक उत्तर देती है तो पुरूष का मिथ्या अहम् चोटिल हो जाता है, ऐसी स्थिति में पुरूष क्रोधित होकर उस महिला को समाज द्वारा अस्वीकार्य करने की स्थिति में पहुँचाना चाहता हैं। उस महिला को डरा–धमका कर उसका मनोबल तोड़ना चाहता है और ऐसा

करने के लिए वह उस महिला पर एसिड अटैक जैसा भयानक कृत्य करता है, जो कि भारतीय भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है। मालिनी अग्रवाल इसका जीता–जागता उदाहरण है, जिसके साथ एसिड अटैक जैसा, जघन्य कृत्य किया गया।

शास्ति– भारतीय दंड संहिता की धारा 326 और 326 ए और 326 बी के अनुसार एसिड अटैक करने वाले व्यक्ति को यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाए तो आजीवन कारावास अन्यथा अपराध की गंभीरता के आधार पर अधिकतम 10 साल की सजा एवं जुर्माना भुगतना पड़ता है।

(7) स्टेक ऑफ (Stalk Off)– किसी गलत उद्देश्य से किसी महिला का पीछा करना, इंटरनेट अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधन द्वारा महिला की निगरानी करना, उसके निजी क्षणों की गोपनीयता भंग करना आदि अपराध स्टॉकिंग के अन्तर्गत आते है।

शास्ति–भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार कम से कम 1 वर्ष का कारावास, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास एवं आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है।

(8) महिला तस्करी– भारत देश में महिला तस्करी एवं जबरन वेश्या वृत्ति के अनेक मामले प्रतिदिन सामने आते हैं। महिला को अनैतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपहरण करके खरीदना या बेचना महिला तस्करी कहलाता है।

शास्ति– भारतीय दंड संहिता की धारा 372 के अनुसार 10 साल तक का अधिकतम कारावास एवं धारा 373 के अनुसार यदि किसी अव्यस्क की खरीद–फरोख्त साबित होने पर अधिकतम 10 वर्ष का कारावास एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

(9) बाल विवाह– 21 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह करना बाल विवाह माना गया है। यह एक कानूनी अपराध है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण सन् 2015–16 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 26.8 प्रतिशत बालिकाओं की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व ही कर दी जाती है तथा 7.9 प्रतिशत बालिकायें 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही माँ बन जाती है।

शास्ति– बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2005 के अनुसार 2 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये तक का जुर्माना निर्धारित है।

बालिकाएं बाल विवाह से संरक्षण कैसे प्राप्त करें –

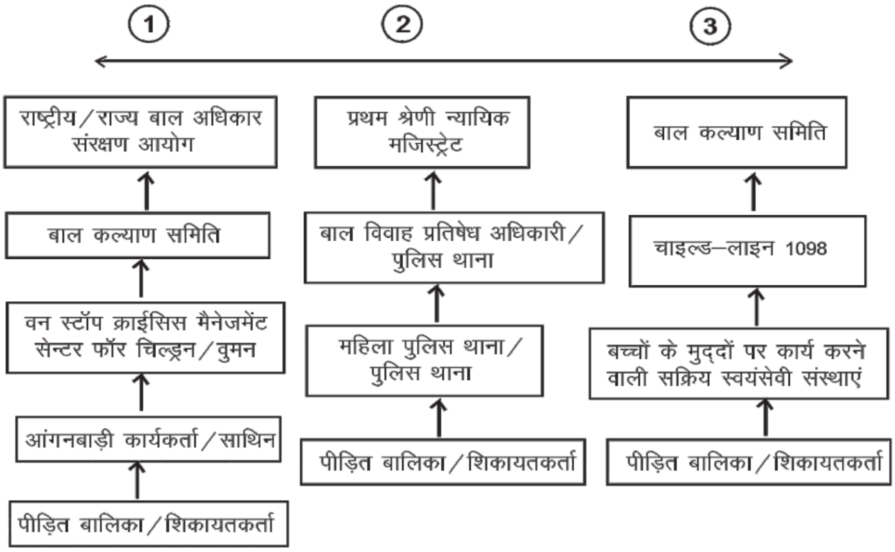

(10) डायन प्रताड़ना– किसी महिला या बालिका को बुरी शक्ति के कब्जे में बताकर उसे डायन घोषित करना और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए यह अंध–विश्वास रखना कि वह महिला किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हानि पहुँचा सकती है, डायन प्रताड़ना के अन्तर्गत आता है।

शास्ति– डायन प्रताड़ना की रोकथाम हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 'डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015' लागू किया गया है।, जिसके अन्तर्गत न्यूनतम 7 वर्ष के कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माना निर्धारित है।

डायन प्रताड़ना से प्रताड़ित महिला संरक्षण एवं न्याय कैसे प्राप्त करें –

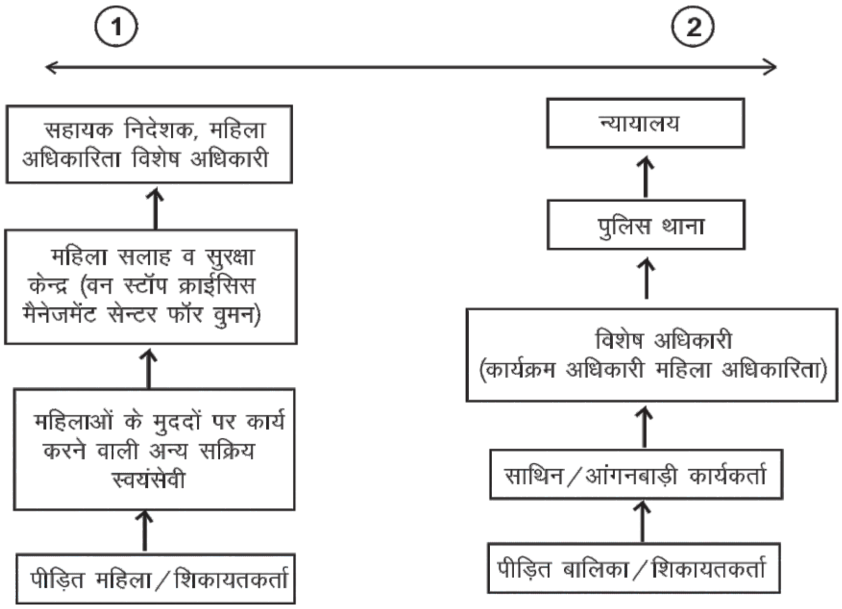

(11) प्रसूति पूर्व लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या– हमारे समाज में बालिका की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। पुरूष प्रधान परिवार एवं हीन मानसिकता वाले व्यक्ति, लालची चिकित्सकों एवं मशीन संचालकों द्वारा वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर भ्रुण की लिंग जाँच करवाते हैं, जो कि एक कानूनी अपराध है।

लिंग चयन करने के पश्चात यदि गर्भ में लड़की है, तो जबरन गर्भपात किया जाता है, जो एक कानूनी अपराध है। जो लोग गर्भपात नहीं करवा पाते है, वे नवजात बालिका शिशु को झाड़ियों में, सड़क के किनारे, नालियों या रेल की पटरियों पर छोड़ आते हैं। यह हत्या के समान जघन्य अपराध है। इस संबंध में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (PCPNDT) लागू किया गया, जिसका उद्‌देश्य कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते लिंगानुपात को रोकना था।

शास्ति– तीन से पांच वर्ष के कठोर कारावास से आजीवन कारावास एवं दस हजार से एक लाख रूपये तक का आर्थिक दण्ड निर्धारित है। साथ ही लिंग जाँच करने वाले आनुवांशिक सलाह केन्द्रों, आनुवांशिक क्लीनिकों, अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का तत्काल पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना, दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माना का प्रावधान है।

मुखबिर योजना के अन्तर्गत ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचना सही पायी जाने पर 2.50 लाख रूपये का पुरस्कार भी दिया जाता है।

यदि आपको इस प्रकार के जघन्य अपराध की जानकारी होती है, तो 'हेल्पलाइन नं. 104' एवं 'सखी वन स्टॉप सेन्टर' पर सम्पर्क कर अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें।

लैंगिक अपराध –

भारत सरकार द्वारा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु कठोर कानून के रूप में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO- Protection of children from Sexual Offences Act 2012) लागू किया गया है। यह अधिनियम एवं इसके संगत अधिनियम 14 नवंबर 2012 से सम्पूर्ण देश में प्रभावी है। उपर्युक्त यह कानून लिंग समानता पर आधारित हैं, इसमें बालक–बालिका कोई भी पीड़ित या दोषी हो सकते है। इस अधिनियम में निम्न कानून है –

(I) प्रवेशन लैंगिक हमला (बलात्कार का प्रयास) : इस प्रकार के अपराध में किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे की योनि, मुँह, मूत्र–मार्ग या गुदा में अपना लिंग अथवा कोई वस्तु या शरीर का अंग प्रवेशित करना या प्रयास करना अथवा इस प्रकार छेड़छाड़ करना या बच्चे के लिंग, योनि, मूत्र–मार्ग पर मुँह लगाना या बच्चे से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने पर विवश करना।

शास्ति/दण्ड– ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्ष से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा एवं आर्थिक दण्ड।

(ii) गंभीर बलात्कार का अपराध (गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला) : शारीरिक, मानसिक विकलांग या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ परिवार के किसी सदस्य पिता/चाचा/मामा इत्यादि पुलिस

अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, डॉक्टर, अध्यापक, लोक सेवक, राजकीय / निजी संस्था कर्मचारी / बाल गृह, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान के महिला कार्मिक अथवा बच्चों (बालक–बालिका) के साथ उक्त लिखित में से बलात्कार का कोई अपराध करना अथवा सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करके बच्चे / बालिका को शारीरिक / मानसिक रूप से असक्षम करना या बालिका को गर्भवती कर देना अथवा प्रवेशन लैंगिक हमला करने के पश्चात बच्चे की हत्या का प्रयास करना या सार्वजनिक रूप से नग्न करना इत्यादि।

शास्ति / दण्ड– न्यूनतम 20 वर्ष कारावास व अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(iii) लैंगिक उत्पीड़न **(Sexual Harassment)** : किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक आशय से बच्चे को कोई शब्द कहना / आवाज / संकेत करना या शरीर का कोई अंग प्रदर्शित करना या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहना या कहलवाना या किसी भी यौन उद्देश्य से बच्चे को कोई अश्लील लिखित वस्तु या अश्लील विडियो फिल्म दिखाना या सीधे ही या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या अन्य किसी माध्यम से बच्चे का बार–बार या लगातार पीछा करना या देखना या सम्पर्क करना या मीडिया के किसी रूप में, यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंग या बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या डिजिटल या किसी अन्य तरीके के जरिए वास्तविक या काल्पनिक चित्रण का उपयोग करने की धमकी देना या प्रलोभन द्वारा यौन क्रिया के लिए उकसाना आदि।

शास्ति / दण्ड– अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(iv) अश्लील साहित्य प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना : किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील प्रयोजन के उद्देश्य से मीडिया, टेलीविजन चैनल / इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक या प्रिन्टेड विज्ञापन द्वारा प्रसारण इत्यादि के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के आशय से किसी रूप में बच्चे का उपयोग करना, जिसमें बच्चे के निजी अंगों को दिखाना, वास्तविक या कृत्रिम कार्य में बच्चे का उपयोग करना, बच्चे की अश्लील प्रस्तुति, अश्लील लेखन, प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग करना इत्यादि सम्मिलित है।

शास्ति / दण्ड– ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा तथा पुनः ऐसा करने पर उसे अधिकतम 7 वर्ष तक सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

अपराध की रिपोर्टिंग : इस अधिनियम में वर्णित अपराधों की सूचना देना तथा इसे लेखनबद्ध करना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति अपराध की रिपोर्ट करने, अपराध को लेखनबद्ध करने में असफल रहता है या किसी कम्पनी या संस्था का प्रभारी अपने अधीनस्थ द्वारा किए गए अपराध की रिपोर्ट करने में असफल रहता है, तो उसे अधिकतम एक वर्ष का कारावास एवं आर्थिक जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत पीड़ित बालक / बालिका को परिवार के सदस्यों या किसी भी व्यक्ति से लैंगिक दुर्व्यवहार होने या अपराध होने की आशंका है, तो उसकी शिकायत संबंधित स्थानीय पुलिस अथवा विशेष किशोर न्यायालय में की जा सकती है।

मीडिया के लिए विशेष प्रावधान :

(i) किसी भी बालक / बालिका / महिला की गरिमा एवं सम्मान को प्रभावित करने वाली किसी प्रकार मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण करना अपराध है, ऐसे मीडिया स्टूडियो एवं फोटो चित्रण सुविधाओं के प्रकाशन या स्वामी संयुक्त एवं पृथक रूप से इस अपराध हेतु जिम्मेदार होंगे।

(ii) लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे की पहचान करना / बताना यथा बच्चे का नाम, पता व फोटो, परिवार का विवरण, पड़ोसी या अन्य विवरण उजागर / प्रकाशित करना भी अपराध है।

बालिकाएं लैंगिक दुर्व्यवहार से संरक्षण निम्नानुसार विकल्पों के माध्यम से शिकायत करके प्राप्त कर सकती हैं–

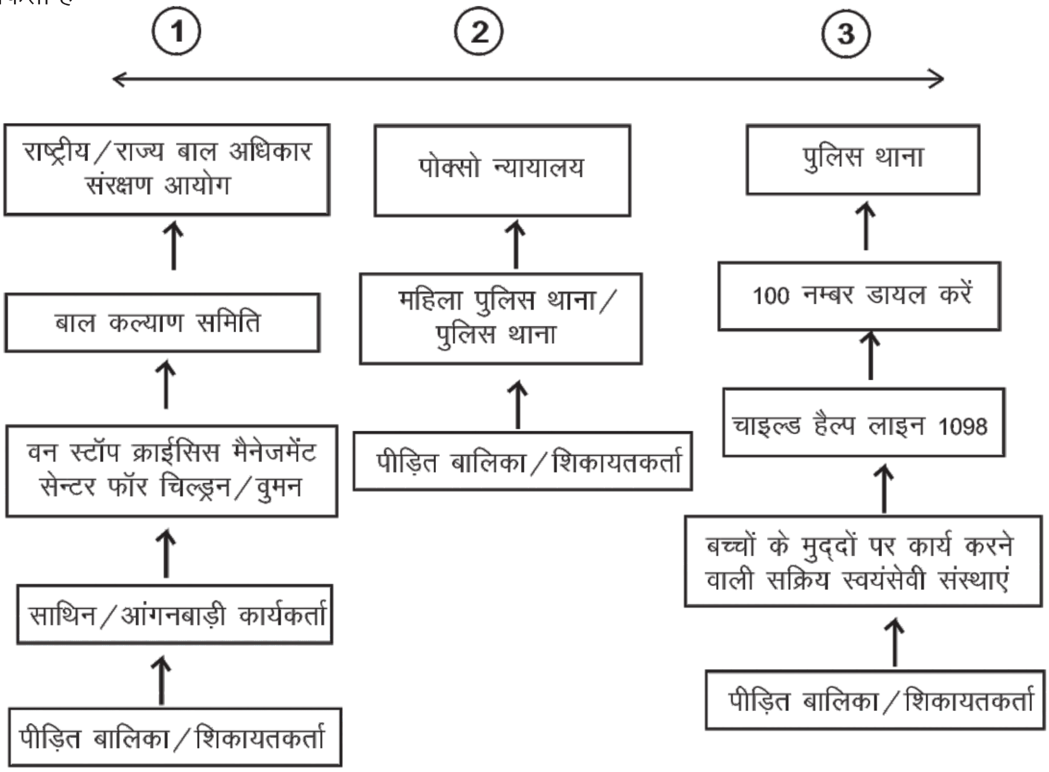

शास्ति / दण्ड– ऐसे करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 5 माह से अधिकतम एक वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा आर्थिक दण्ड या दोनों से भी दण्डित किया जा सकता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न : कार्यस्थल से तात्पर्य कोई भी कार्यालय / दफ्तर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी या असंगठित क्षेत्र जैसे ईंट का भट्टा, मजदूरी स्थल, अन्य घरेलू कार्य स्थल, जहाँ महिलायें कार्य करती है। देखा गया है कि इन कार्यस्थलों पर महिला के साथी कर्मचारी उनके साथ अश्लील टिप्पणी, संकेत, शारीरिक चेष्टाएं करते हुए, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से पीड़ित करते है, अपराध की श्रेणी में आता है। इनके अतिरिक्त किसी महिला को प्रमोशन या अन्य किसी

प्रकार का प्रलोभन देकर यौन संबंध बनाने की मांग करना, अश्लील बातें करना, अश्लील फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना या अश्लील वीडियो भेजना, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं।

शास्ति/दण्ड– देश में कार्यस्थल पर लैंगिक एवं यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 1997 में 'विशाखा दिशा निर्देश' जारी किये गये। साथ ही कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) कानून 2013 लागू किया गया। यह एक सिविल अधिनियम है। ऐसे सभी संगठन एवं संस्थान जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, आन्तरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य हैं।

पीड़ित महिला उसके साथ किये गये लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354 एवं 354 क के तहत विधिक कार्यवाही कर सकती है तथा निम्नानुसार विकल्पों के माध्यम से शिकायत कर संरक्षण प्राप्त कर सकती है।

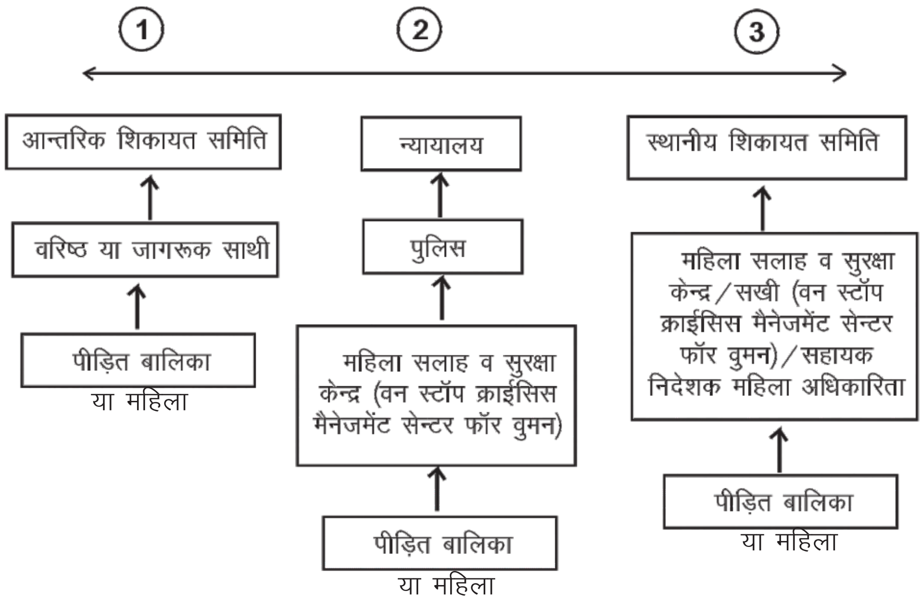

महिला–सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाएँ –

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के लिए हमारे संविधान में कठोर दण्ड व्यवस्था है, जिसकी जानकारी आपको दी जा चुकी है। इस दण्ड व्यवस्था के अतिरिक्त अनेक सरकारी एवम् गैर सरकारी योजनाएँ भी हैं, जो इन अपराधों की रोक–थाम का कार्य करती हैं और महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं का अध्ययन हम यहाँ करेंगे।

(i) सुरक्षित शहर परियोजना : भारतवर्ष के 8 प्रमुख शहरों में 'निर्भया कोष' के अन्तर्गत 2919.55 करोड़ रूपये राशि की योजना द्वारा सम्बंधित शहरों में नगर निगमों एवम् पुलिस आयुक्तालयों के सहयोग से तैयार की गई है। इसका उद्देश्य स्ट्रीट लाइटिंग, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, बेहतर पुलिस व्यवस्था आदि जैसे विभिन्न पहलुओं में सुधार करके शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है। यह आठ शहर

हैं– दिल्ली, चैन्नई, मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलुरू, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता।

(ii) केन्द्रीय फोरैंसिक साइंस प्रयोगशाला : 'निर्भया कोष' के अन्तर्गत हाल ही में चण्डीगढ़ में 99.76 करोड़ की लागत से एक मॉडल केन्द्रीय फोरैसिंक साइंस प्रयोगशाला स्थापना की परियोजना पर कार्य चल रहा है। इससे यौन–हिंसा से पीड़ित महिला व अपराधी पुरूष के डी.एन.ए. विश्लेषण में अत्यधिक सहायता प्राप्त होगी।

(iii) एकीकृत आपात प्रत्युत्तर प्रबंधन : इस परियोजना द्वारा रेल्वे–स्टेशनों एवम् रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों को चौबीस घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए 983 प्रमुख रेल्वे–स्टेशनों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों एवम् मॉनीटरिंग कक्षों सहित समेकित आपात प्रबंधन किया जाता है।

(iv) शी–बॉक्स : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्र सरकार में काम कर रही महिला कर्मचारियों के लिए ऑनलाईन प्लेटफॉर्म 'शी बॉक्स' लांच किया है। अब महिला कर्मचारी ऑफिसों में यौन उत्पीड़न की शिकायत शी–बॉक्स के जरिए कर सकेंगी। शी–बॉक्स का मतलब है– 'सेक्सुअल हैरसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स'। इसमें आई कोई भी शिकायत सीधे सम्बन्धित मंत्रालय, विभाग की इंटरनल कम्पलेन कमेटी (आंतरिक शिकायत कमेटी) को भेजी जायेगी, जो नियमों के मुताबिक कार्यवाही करेगी और कार्यवाही की अद्यतन स्थिति भी पीड़िता को बताती रहेगी।

(v) केन्द्रीय पीड़िता क्षतिपूर्ति कोष : निर्भया, जो एक कोर्पस फंड है, इसके अन्तर्गत एक केन्द्रीय पीड़िता क्षतिपूर्ति कोष बनाया गया है, जो कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पीड़िता क्षतिपूर्ति स्कीमों के लिए सहायता देता है, इससे अपराधों और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समय पर पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।

(vi) महिला पुलिस वालंटियर योजना : समाज में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाने और लैंगिक असमानता पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा देश के राज्यों में 'महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना' के संचालन की घोषणा कीगई थी। इस योजना की शुरूआत सर्वप्रथम वर्ष 2016–17 में 'निर्भया फंड' से हरियाणा राज्य के करनाल से की गई थी। यह योजना समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, भ्रूण–हत्या, छेड़–छाड़ जैसी अपराधिक घटनाओं से पीड़िता की मदद करने हेतु प्रारम्भ की गई है।

(vii) चिराली योजना : राजस्थान सरकार ने महिला हिंसा रोकने के लिए 26 सितंबर 2017 को महिला बाल विकास विभाग द्वारा 'चिराली योजना' का शुभारम्भ किया गया। इस योजना के तहत गांवों में महिला सुरक्षा के लिए वॉलन्टियर्स लगाए जाएंगे।

(viii) आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा 'अभय परियोजना' : इस परियोजना में टैक्सियों और ऑटो–रिक्शा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय अंतःक्षेप के लिए एक समेकित प्रणाली विद्यमान है।

(ix) पैनिक बटन : संकट की स्थिति में महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए सभीमोबाईल फोनों में पैनिक बटन लगाने का प्रावधान कर दिया गया है। संचार मंत्रालय की एक अधिसूचना के माध्यम से 01 जनवरी 2018 से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि स्मार्ट फोन बनाने वाली कोई भी कम्पनी जी.पी.

एस. के माध्यम से लोकेशन का पता लगाए जाने की सुविधा के बिना भारत में कोई भी नया स्मार्ट मोबाईल फोन नहीं बेचेगी।

(x) दिशा महिला पुलिस थाना : आंध्रप्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर एक पहल की है। 'राजमुंदरी' में देश का पहला 'दिशा महिला पुलिस स्टेशन' खोला गया है। आंध्रप्रदेश में 18 'दिशा महिला पुलिस स्टेशन' स्थापित किए जा रहे है। इसमें दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मौत की सजा तक दी जाएगी।

(xi) 181 महिला हेल्पलाईन : यह महिलाओं को तुरन्त सहायता और सूचना प्रदान करने के लिए पूरे भारत में टोल फ्री नंबर है। इस सेवा के द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 x 7 आपात और गैर आपात सेवाएं प्रदान की जाती है। अब तक यह हेल्पलाईन 31 राज्यों/संघ शासित राज्यों में प्रारम्भ की जा चुकी है।

(xii) नई टैक्सी नीति : महिलाओं के लिए टैक्सी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए है। सभी टैक्सियों में अनिवार्य जी.पी.एस., पैनिक उपकरण, चाइल्ड लॉक को अक्षम करना, वाहन का पंजीकरण और ड्राइवर की फोटो सहित पहचान को मुख्य रूप से दर्शाना, महिला यात्रियों की इच्छा से ही सीट को शेयर करना इत्यादि को अनिवार्यतः लागू किया गया है।

महिला सुरक्षा एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है, जिसे सभी के प्रयास से तत्काल हल करने की आवश्यकता है।

(xiii) आत्मरक्षा तकनीक : यह सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके लिए प्रत्येक महिला को अपनी सुरक्षा के लिए उचित आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। उन्हें कुछ प्रभावी रक्षा तकनीकों के बारे में पता होना चाहिए। यदि कोई महिला किन्हीं विषम परिस्थितियों में असहज व असुरक्षित महसूस करती है, तो उस स्थिति से बचने के लिए भागना भी एक उपाय है। ऐसी परिस्थितियों में अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। किक टू ग्रोईन, ब्लॉकिंग पंच आदि का उपयोग करना चाहिए। 'मिर्च स्प्रे' करना भी आत्मरक्षा का एक उपाय है। प्रत्येक महिला के पास आपातकालीन नंबर होना चाहिए।

कठिन शब्दार्थ

1.	शास्ति	–	दण्ड
2.	आत्मरक्षा	–	स्वयं की रक्षा
3.	अक्षम	–	असमर्थ
4.	अवसाद	–	निराशा
5.	घृणित	–	घृणा योग्य

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :—

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 360 के अनुसार कितने साल की सजा होती है?
   (क) 8 वर्ष (ख) 7 वर्ष
   (ग) 9 वर्ष (घ) 10 वर्ष
2. 'पत्नी के साथ की जाने वाली मारपीट' किस प्रवृति की हिंसा में आती है?
   (क) पारिवारिक हिंसा (ख) सामाजिक हिंसा
   (ग) आपराधिक हिंसा (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न :—

1. महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को बढ़ावा देने वाली दो सामाजिक रूढ़ियों के नाम बताइए।
2. केन्द्रीय फोरैंसिक साइंस प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है?
3. चिराली योजना का शुभारम्भ कब किया गया?
4. देश का पहला 'दिशा महिला पुलिस स्टेशन' कहाँ खोला गया है?
5. महिला आत्मरक्षा तकनीक का कोई एक उपाय लिखिए।

लघूत्तरात्मक प्रश्न :—

1. 'सुरक्षित शहर परियोजना' के अन्तर्गत आने वाले आठ शहरों के नाम लिखिए।
2. 'डायन प्रताड़ना' क्या है? संक्षिप्त में समझाइए।
3. 'ऑनर किलिंग' की शास्ति लिखिए।
4. आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई 'अभय परियोजना' क्या है?
5. 'अपराध' की परिभाषा लिखिए।

निबन्धात्मक प्रश्न :—

1. अपराध का अर्थ परिभाषा सहित बताते हुए महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की प्रकृति बताइए।
2. महिलाओं के विरूद्ध निम्नलिखित अपराधों का शास्तियों सहित विस्तृत वर्णन कीजिए।
   (i) अपहरण (ii) बाल–विवाह (iii) घरेलू हिंसा (iv) छेड़खानी
3. महिलाओं के विरूद्ध किए जाने वाले लैंगिक उत्पीड़न को विस्तृत रूप से समझाइए।